



सत्यवती महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय)

NAAC द्वारा 'A+' ग्रेड मान्यता प्राप्त
अशोक विहार फेज-III, दिल्ली – 110052



प्रवेश विवरणिका 2024-25

प्रोफेसर पामेला सिंगला
अध्यक्ष
प्रबन्ध समिति
सत्यवती कॉलेज

प्रोफेसर अनुपम झा
कोषाध्यक्ष
प्रबन्ध समिति
सत्यवती कॉलेज

प्रोफेसर अंजू सेठ
प्राचार्य
सत्यवती कॉलेज

अध्यक्ष (प्रबन्ध समिति) का संदेश



सत्यवती कॉलेज के प्रिय विद्यार्थियों,

मैं बहुत गर्व और सम्मान के साथ, आप आप सभी का अपने प्रतिष्ठित कॉलेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि संस्थान में शामिल होने का आपका निर्णय एक महान यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा जो बौद्धिक विकास, व्यक्तिगत विकास और सार्थक सम्बन्ध के समावेशी अवसरों से भरी होने का वादा करती है। सत्यवती कॉलेज में, हम एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अकादमिक उत्कृष्टता, महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। हमारे विविध प्रकार के कार्यक्रम, अत्याधुनिक सुविधाएं और समर्पित संकाय सदस्य आपकी शैक्षणिक आकांक्षाओं में आपकी मदद करेंगे और आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे।

कक्षा से परे, आपको अनेको कमेटी, सोसाइटी और अन्य गतिविधियों के साथ एक जीवंत परिसर जीवन मिलेगा जो हितों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है। इन पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी न केवल आपके सीखने के अनुभव को बढ़ाएगी बल्कि आपको आजीवन

दोस्ती बनाने और आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने में भी मदद करेगी।

हमारा कॉलेज समावेशिता और सम्मान की संस्कृति पर गर्व करता है। हम एक सहायक और पोषण वातावरण बनाने के लिए समर्पित हैं जहां प्रत्येक विद्यार्थी अपने सकारात्मक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यवान और सशक्त महसूस करता है। जैसा कि आप इस रोमांचक नई यात्रा को शुरू करते हैं, मैं आपको अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और हम यहां हर प्रयास में आपका समर्थन करने के लिए हैं। एक बार फिर, सत्यवती कॉलेज में आपका स्वागत है और हम आने वाले वर्षों में आपकी विकास और उपलब्धियों को देखने के लिए तत्पर हैं।

गर्मजोशी से अभिवादन,

प्रोफेसर पामेला सिंगला,
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति
सत्यवती कॉलेज

प्राचार्या का संदेश



अभिनन्दन एवं स्वागत !

मैं आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में स्थित प्रतिष्ठित सत्यवती महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ। महाविद्यालय समाज के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थी-छात्राओं को समग्र और उदार शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है। **तमसो मा ज्योतिर्गमय** के दृष्टिकोण के अनुरूप ही सत्यवती महाविद्यालय विद्यार्थी-छात्राओं को समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने मिशन में अग्रणी संस्थान के रूप में जाना जाता है। NAAC द्वारा A+ मान्यता प्राप्त यह महाविद्यालय शिक्षा प्राप्ति के सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने में उत्कृष्ट है।

महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विषय और उसके भावना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर-अनुशासनात्मकता के उद्देश्य के अनुरूप, महाविद्यालय अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क, 2022 के अनुसार महाविद्यालय में अथवा क्लस्टर कॉलेजों में सभी विभिन्न पाठ्यक्रम अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक (DSEs), अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम (DSCs), सामान्य ऐच्छिक (GEs), क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम (AECs), कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम (SECs) और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम (VACs) प्रदान करता है। इसके साथ ही, **उद्योदय** पहल विद्यार्थी-छात्राओं को

इंटरनशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेंटिसशिप/सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, विद्यार्थी-छात्राओं को उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कई सोसायटी और क्लब जैसे डिबेटिंग सोसायटी, ड्रामेटिक्स सोसाइटी आदि हैं।

इस वर्ष, महाविद्यालय स्नातक स्तर पर लगभग 1309 सीटों पर प्रवेश देने का अवसर देता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों जैसे PwBD, खेल, ECA, युद्ध विधवाओं के बच्चे, कश्मीरी प्रवासी और विदेशी राष्ट्रीयता के सिविकी विद्यार्थियों के लिए लगभग 200 अतिरिक्त सीटें हैं। महाविद्यालय में 3756 यूजी और पीजी विद्यार्थी-छात्राओं को उनकी शिक्षा और करियर में सुविधा प्रदान करने और मार्गदर्शन करने के लिए 154 सक्षम और विशेषज्ञ शिक्षक, 75 समर्पित और सहायक गैर-शिक्षण कर्मचारी सदस्य हैं। नियमित शिक्षण और मूल्यांकन के अलावा, वरिष्ठ संकाय सदस्य पीएचडी विद्यार्थी-छात्राओं की पर्यवेक्षण में भी लगे हुए हैं। अत्यधिक अनुभवी और प्रेरित संकाय और कर्मचारियों के सक्षम मार्गदर्शन में, हमारे कई विद्यार्थी-छात्राएँ प्रशासन, नौकरशाही आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए एक जगह बनाने में सक्षम हुए हैं और अनेको उद्योगों का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे कई विद्यार्थी-छात्राओं ने राष्ट्रीय के अनेको प्रतियोगिताओं में भाग लेकर महाविद्यालय के लिए ख्याति अर्जित की है। हमारे विद्यार्थी-छात्राओं में प्रदर्शन की उच्च क्षमता है और वे निश्चित रूप से नए कीर्तिमान स्थापित कर अन्य के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं।

महाविद्यालय की नवनिर्मित लाइब्रेरी पूरी तरह से वातानुकूलित एवं डिजिटली स्वचालित प्रणाली से सम्पन्न है तथा विद्यार्थी-छात्राओं के लिए वाई-फाई सक्षम है। महाविद्यालय में संकाय और विद्यार्थियों के बीच शोध के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक समर्पित कंप्यूटर कक्ष है, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थी-छात्राओं के लिए एक विशेष समर्पित कक्ष भी है। अध्ययनकक्ष का उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की संस्कृति को विकसित करना और पढ़ने और सीखने के श्रेष्ठ अवसर प्रदान करना है। महाविद्यालय पर्यावरण के संरक्षण के अनुकूल परिसर से सम्पन्न तथा **स्वच्छ सत्यवती हरित सत्यवती** का पालन करता है। वर्षाजल संचयन प्रणाली तथा हर्बल गार्डन महाविद्यालय को तथा उसके आसपास प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करते हैं। महाविद्यालय में सभी डिजिटल सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित सेमिनार हॉल है। महाविद्यालय में विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम - के.पी. भट्ट - सत्य ऑडिटोरियम - भी है जिसमें लगभग 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है। आउटडोर खेलों के लिए, महाविद्यालय में एक समर्पित खेल मैदान के साथ विशेष खेल सुविधाएँ हैं। मैं आपका सत्यवती महाविद्यालय में पुनः स्वागत करती हूँ। सत्यवती महाविद्यालय निश्चित ही आपकी भावी सफलता का आधार बनेगा।

प्रोफेसर अंजू सेठ
प्राचार्या

अंतर्वस्तु / विषय

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश क्षमता	1-2
2.	प्रवेश समिति विवरण	3-4
3.	प्रवेश हेतु प्रक्रिया	5-10
4.	स्नातक प्रवेश के लिए पात्रता आवश्यकताएँ	11-12
5.	सत्यवती महाविद्यालय : परिचय	13
6.	आधारभूत संरचना	14-18
7.	प्रवेश के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं विभाग	19-26
8.	प्रशासनिक विभाग	27
9.	समितियाँ/ सोसायटी	28-35
10.	विद्यार्थीवृत्ति एवं पुरस्कार	36-37
11.	महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी	37-40
12.	खेल, ईसीए(ECA) और वार्ड(Ward) का प्रवेश	41
13.	अनुशासन और उपस्थिति नियम	42
14.	परीक्षा सम्बन्धी नियम	43
15.	शुल्क संरचना (स्नातक/परास्नातक) 2024-25	44-45
16.	महाविद्यालय की एक झलक	46-57
17.	प्रपत्र(Form)	58-61

प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आवेदक को प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड(Upload) करने होंगे। यदि आवेदक पंजीकरण के समय ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे प्रवेश प्रक्रिया के अंत में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. दसवीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा प्रमाणपत्र।
2. दसवीं कक्षा की अंकतालिका।
3. बारहवीं कक्षा की अंकतालिका।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र। (उम्मीदवार के नाम पर)।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉनक्रीमी लेयर) (NCL) प्रमाणपत्र (उम्मीदवार के नाम पर) जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी नियमानुसार, 31 मार्च, 2024 के बाद जारी किया गया हो।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसका प्रमाणपत्र (उम्मीदवार के नाम पर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी नियमानुसार, 31 मार्च, 2024 के बाद जारी किया गया हो।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र।



विवरण पुस्तिका समिति

- डॉ. अलीशा धींगडा (संयोजिका)
- डॉ. राम चन्द्र (सह-संयोजक)
- डॉ. मनोज कुमार (सदस्य)
- डॉ. विजय नारायण सिंह (सदस्य)
- डॉ. संजय कुमार सेठ (सदस्य)
- डॉ. अनुपम सत्री (सदस्य)



College Helpline No.

8368897504

TIME: 10AM TO 5PM

प्रवेश क्षमता 2024-25

पाठ्यक्रम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक कमजोर
बी. ए. (प्रोग्राम)	169	46	29	93	32
बी. कॉम (प्रोग्राम)	78	29	14	52	20
बी. कॉम (ऑनर्स)	78	29	14	52	20
बी. एस. सी. (ऑनर्स) गणित	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	31	12	6	21	8
बी. ए. (ऑनर्स) हिंदी	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	31	12	6	21	8
बी. ए. (ऑनर्स) संस्कृत	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) उर्दू	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी	23	9	4	16	6
बी. ए. (ऑनर्स) इतिहास	43	16	8	29	8
कुल स्वीकृत सीट	545	189	97	348	126

अस्वीकरण : इस विवरण पुस्तिका में दिए गए आंकड़े केवल सांकेतिक हैं।



बीए (प्रोग्राम), कुल सीट संख्या (seat matrix) 2024-25

क्रम संख्या	बीए प्रोग्राम संयोजन की सूची *	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	आर्थिक कमजोर वर्ग	अल्पसंख्यक	CW	PwBD	KM
1	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + इतिहास)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
2	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + गणित)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
3	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास (ओएमएसपी))	11	6	3	2	2	NA	2	1	0
4	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + राजनीति विज्ञान)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
5	बी.ए. प्रोग्राम (अंग्रेजी + इतिहास)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
6	बी.ए. प्रोग्राम (अंग्रेजी + राजनीति विज्ञान)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
7	बी.ए. प्रोग्राम (हिंदी + इतिहास)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
8	बी.ए. प्रोग्राम (हिंदी + राजनीति विज्ञान)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
9	बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + गणित)	11	6	3	2	2	NA	2	1	0
10	बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + राजनीति विज्ञान)	19	11	6	3	4	NA	2	2	0
11	बी.ए. प्रोग्राम (गणित + कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास (ओएमएसपी))	11	6	3	2	2	NA	2	1	0
12	बी.ए. प्रोग्राम (गणित + राजनीति विज्ञान)	11	6	3	2	2	NA	2	1	0
13	बी.ए. प्रोग्राम (संस्कृत + राजनीति विज्ञान)	9	5	2	1	2	NA	1	1	0
14	बी.ए. प्रोग्राम (अर्थशास्त्र + अंग्रेजी)	11	6	3	2	2	NA	1	1	0
15	बी.ए. प्रोग्राम (इतिहास + संस्कृत)	9	5	2	1	2	NA	1	1	0
	कुल	169	93	46	29	32	NA	20	16	0

प्रोफेसर अंजू सेठ, प्राचार्या



प्रवेश समिति

1. डॉ. रत्नेश कुमार त्रिपाठी/डॉ. रघुनाथ प्रसाद साकेत-संयोजक
2. श्री अजय कुमार - सह-संयोजक
3. डॉ. संदीप कुमार - सह-संयोजक
4. श्री मोहित - सदस्य
5. श्री पदम सिंह- सदस्य
6. श्री छोटे लाल पांडे - सदस्य
7. सुश्री शारण्या गांगुली - सदस्य
8. डॉ. फैय्याज आलम- सदस्य
9. डॉ. राम चन्द्र - सदस्य
10. डॉ. मनोज कुमार सिंह - सदस्य
11. डॉ. अलीशा ढींगरा - सदस्य
12. डॉ. निशांत - सदस्य
13. सुश्री निकिता दुरेजा - सदस्य
14. डॉ. आरिफ इश्तियाक - सदस्य



प्रवेश नोडल अधिकारी

डॉ. संजय कुमार सेठ
मोबाइल.: 8447739935
ई-मेल:

nodalofficeradmission@satyawati.du.ac.in



महाविद्यालय समस्या निवारण समिति (grievances)

1. प्रो. अजय कुमार झा, संयोजक
2. डॉ. कमर-उल-हसन, सदस्य
3. डॉ. तापसी सिंह, सदस्य
4. डॉ. राजकुमार, सदस्य
5. डॉ. आशुतोष त्रिवेदी, सदस्य
6. श्री अरुण गिरि, सदस्य



श्रेणी (category) प्रमाण पत्र सत्यापन समिति

1. डॉ. मनोज कुमार
2. डॉ. संजय कुमार सेठ
3. श्री अजय कुमार
4. डॉ. संदीप कुमार
5. डॉ. तनुजा
6. डॉ. चाईना मीणा



आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति

1. डॉ. संजय कुमार सेठ - संयोजक
2. डॉ. अनुपम सत्री
3. डॉ. अजय कुमार यादव
4. डॉ. बशीर शाहीन
5. डॉ. मनोज कुमार सिंह
6. डॉ. रामचन्द्र
7. डॉ. विजय नारायण सिंह



हेल्प डेस्क समिति

1. डॉ. आरिफ इश्तियाक - नोडल अधिकारी, 9891627264, aarifdu@gmail.com
2. डॉ. निशांत भारद्वाज (आरक्षित वर्ग के लिए नोडल अधिकारी)- 7011313390, nishantofficial.acad@gmail.com
3. सुश्री कोकिला मीणा (अर्थशास्त्र)- 9799340125, kokimeena@gmail.com
4. डॉ. बशीर शाहीन (उर्दू)- 9871148567, bashirshaheen.du.1993@gmail.com
5. डॉ. भावना सरोहा (हिन्दी)- 7303325202, bsaroha1988@gmail.com
6. श्री पदम सिंह (गणित)- 7011838855, padamsinghktl@gmail.com
7. सुश्री कंगन जैन (वाणिज्य)- 8619973868, jainkangan@gmail.com
8. डॉ. विजय नारायण सिंह (इतिहास)- 9810894389, ajkus4you@gmail.com
9. डॉ. काजल टेहरी / सुश्री मिली ऐश्वर्या (अंग्रेजी)- 9899628750, 9654995335, kkt2812@gmail.com, mili.aishwarya@yahoo.com
10. डॉ. संदीप कुमार (संस्कृत)- 9868793223, slkataria1509@gmail.com
11. डॉ. रेखा शर्मा (शारीरिक शिक्षा)-9718168335, rekhasharmaaol16@gmail.com
12. डॉ. अखिलेश तिवारी (राजनीति विज्ञान)- 9873379596, akhileshau02@gmail.com



एंटी रैगिंग कमेटी

1. श्री जिया लाल, संयोजक
2. डॉ. ईश्वर दान, सह-संयोजक
3. डॉ. ममता चौधरी,
4. श्री मोहित डॉ. निशांत भारद्वाज,
5. डॉ. स्वस्ति शर्मा,
6. डॉ. तरत्रुम अमीर



विभागीय प्रतिनिधि*

1. डॉ. रेणु जैन (वाणिज्य)
2. डॉ. अंजलि दरियाल (वाणिज्य)
3. डॉ. तरन्नुम अमीर (वाणिज्य)
4. सुश्री ऐमन (वाणिज्य)
5. डॉ. ईश्वर सिंह दर्जी (वाणिज्य)
6. सुश्री डेजी राज (वाणिज्य)
7. सुश्री अंजलि आर मीणा (वाणिज्य)
8. सुश्री कोकिला मीणा (अर्थशास्त्र)
9. सुश्री अनु वर्मा (अर्थशास्त्र)
10. डॉ. पूजा (अर्थशास्त्र)
11. डॉ. छत्रपाल सिंह (अर्थशास्त्र)
12. सुश्री श्रेया शर्मा (अर्थशास्त्र)
13. सुश्री स्वस्ति शर्मा (अंग्रेजी)
14. डॉ. काजल टिहरी (अंग्रेजी)
15. श्री शशि शेखर (अंग्रेजी)
16. डॉ. चाईना मीणा (हिंदी)
17. डॉ. तनुजा (हिंदी)
18. डॉ. अरुंधति (हिंदी)
19. डॉ. ममता जायसवाल (हिंदी)
20. डॉ. भावना सरोहा (हिंदी)
21. डॉ. चंदन कुमार (इतिहास)
22. श्री संजय कुमार साह (इतिहास)
23. डॉ. विजय नारायण सिंह (इतिहास)
24. डॉ. मोनिका मेहता (गणित)
25. डॉ. वाणी शर्मा (गणित)
26. श्री पदम सिंह (गणित)
27. डॉ. रेखा शर्मा (शारीरिक शिक्षा)
28. डॉ. संजय चौधरी (शारीरिक शिक्षा)
29. डॉ. भावना शर्मा (राजनीति विज्ञान)
30. डॉ. अखिलेश तिवारी (राजनीति विज्ञान)
31. सुश्री तमन्ना यादव (राजनीति विज्ञान)
32. सुश्री नेहा बेनीवाल (संस्कृत)
33. डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी (संस्कृत)

34. डॉ. संदीप कुमार (संस्कृत)
35. डॉ. बशीर शाहीन (उर्दू)
36. डॉ. फैयाज आलम (उर्दू)

*प्रत्येक विभाग के टीआईसी प्रवेश समिति के सदस्य होंगे।



बीए (प्रोग्राम) प्रवेश समिति


1. डॉ. छत्रपाल (अर्थशास्त्र)
2. सुश्री श्रेया शर्मा (अर्थशास्त्र)
3. श्री अभिमन्यु मिश्रा (अंग्रेजी)
4. डॉ. मुकेश (अंग्रेजी)
5. सुश्री उद्दीपना बोरा (अंग्रेजी)
6. सुश्री मिली ऐश्वर्या (अंग्रेजी)
7. डॉ. भावना सरोहा (हिंदी)
8. डॉ. विजय नारायण सिंह (इतिहास)
9. श्री पदम सिंह (गणित)
10. डॉ. रेखा शर्मा (शारीरिक शिक्षा)
11. डॉ. अखिलेश तिवारी (राजनीति विज्ञान)
12. डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी (संस्कृत)
13. डॉ. बशीर शाहीन (उर्दू)
14. सुश्री नेहा (वाणिज्य)
15. डॉ. संदीप कुमार (संस्कृत)



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण) समिति, 2024

1. डॉ. ममता चौधरी, संयोजक
2. डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी, सह-संयोजक
3. श्री मोहित, सह-संयोजक
4. डॉ. राम चन्द्र
5. डॉ. अलीशा ढींगरा
6. सुश्री नेहा
7. डॉ. निशांत भारद्वाज
8. डॉ. सुनील कुमार चौबे
9. श्री अरुण गिरि, सदस्य

प्रवेश प्रक्रिया



सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट, अंडर-ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन - 2024 (यूजी-बीओआई) और कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम-2024 (सीएसएएस) पर निर्दिष्ट पात्रता आवश्यकताओं, मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है।

स्नातक स्तर पर पेश किए गए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन-2024 (यूजी बीओआई-2024) (विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) में प्रकाशित किए गए हैं। उम्मीदवारों को UG BOI-2024 और प्रवेश वेबसाइट से पात्रता मानदंड को ध्यान से देखना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट, यूजी बीओआई 2024 और सीएसएएस-2024 के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अलावा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड नहीं हैं, जो यूओडी की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए, यूओडी के सभी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट- अंडर-ग्रेजुएट 2024 (CUET (UG) – 2024) के आधार पर किया जाएगा।

1. CUET (UG) - 2024 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार ध्यान दें कि एनटीए की भूमिका CUET (UG) - 2024 के आयोजन, परिणामों की घोषणा और प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के निपटान तक सीमित है। केवल CUET (UG) - 2024 में उपस्थित होना यूओडी में सीट सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं होगी। यूओडी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए, एक उम्मीदवार को सीएसएएस-2024 में आवेदन करना होगा।
2. आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे यूजी बीओआई-2024 और सीएसएएस-2024 की सामग्री को ध्यान से पढ़ें और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922, इसके संशोधनों और विधियों से परामर्श करें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध यूओडी के अध्यादेश, नियम, विनियम और अधिसूचनाएं, www.du.ac.in अंतिम और बाध्यकारी होंगी।



3. यूओडी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य न्यूनतम पात्रता मानदंड और कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड के लिए UG BoI-2024 का उल्लेख करना चाहिए। (http://du.ac.in/uploads/new-web/21042024_BOI-UG.पीडीएफ)
4. उम्मीदवार को कार्यक्रमों का चयन करने से पहले यूओडी की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रमों, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, सीट मैट्रिक्स, शुल्क संरचना और अन्य प्रासंगिक जानकारी की सूची का उल्लेख करना चाहिए।
5. यूओडी में प्रवेश के लिए पात्रता का निर्धारण और दस्तावेजों का सत्यापन यूओडी का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।
6. केवल वही उम्मीदवार जो CUET (UG) - 2024 में उपस्थित हुए हैं और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा XIIवीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, CSAS-2024 के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
7. उम्मीदवार को यूओडी की प्रवेश वेबसाइट (<https://admission.uod.ac.in>) के माध्यम से यूओडी के सीएसएस-2024 में ऑनलाइन आवेदन करना और प्राथमिकताएं भरना अनिवार्य है। किसी भी अन्य मोड के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. सभी यूजी कार्यक्रमों के लिए सीट आवंटन पूरी तरह से CUET (UG) - 2024 में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा।
9. प्रदर्शन-आधारित कार्यक्रमों, ईसीए और खेल अधिसंख्य कोटा में सीट आवंटन के लिए, CUET (UG) - 2024 के संयुक्त स्कोर और प्रदर्शन परीक्षण / परीक्षण और / या प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।
10. प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित सीएसएस-2024 मेरिट सूचियों का पालन यूओडी के सभी कॉलेजों द्वारा किया जाएगा।
11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश से संबंधित सभी संचार और अपडेट के लिए अपने डैशबोर्ड, ईमेल और प्रवेश वेबसाइट (www.admission.uod.ac.in) की जांच करें।
12. कॉलेज/यूओडी प्रवेश दिशानिर्देशों, अनुसूची, पात्रता मानदंड और सीएसएस- 2024 नियमों के बारे में जागरूकता की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नियमित रूप से यूओडी के डैशबोर्ड, ईमेल और प्रवेश वेबसाइट की जांच करना उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है।
13. प्रवेश के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन न करना, जिसमें प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना शामिल है और/या निर्धारित तिथि और समय के भीतर शुल्क/ओं का भुगतान न करना, उम्मीदवार प्रवेश का अधिकार खो देगा।
14. उम्मीदवार को विश्वविद्यालय / कॉलेज द्वारा अधिसूचित किए जाने पर मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
15. किसी भी आरक्षित श्रेणी (PwBD, CW और KM सहित) के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए अपनी पात्रता साबित करना उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है। एससी / एसटी / ओबीसी एनसीएल / ईडब्ल्यूएस / अल्पसंख्यक / सीडब्ल्यू / पीडब्ल्यू बीडी / केएम श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित आरक्षित श्रेणी / उप-श्रेणी के प्रमाण पत्र / दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
16. यदि किसी भी स्तर पर, प्रवेश से संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकली/गैर-वास्तविक और/या मनगढ़ंत या किसी अन्य तरीके से दोषपूर्ण पाए जाते हैं, तो उक्त उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि पहले ही भर्ती कर लिया गया है, तो इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। यदि कार्यक्रम पूरा करने के बाद यह पाया जाता है, तो उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
17. प्रवेश प्रक्रिया में एक उम्मीदवार की भागीदारी अनंतिम होगी। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि पात्रता संबंधी अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती हैं तो दाखिला प्रदान किए जाने पर उसे वास्तविक रूप से रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
18. विश्वविद्यालय या कॉलेज किसी भी उम्मीदवार को बाद के चरण में अयोग्य पाए जाने पर प्रवेश शुल्क वापस नहीं करेगा।
19. विश्वविद्यालय या कॉलेज यूओडी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
20. कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2024 को तीन चरणों में विभाजित किया गया है:
 - चरण 1: दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करना
 - चरण 2: कार्यक्रमों और कॉलेजों के लिए प्राथमिकता भरना
 - चरण 3: आवंटन-सह-प्रवेश



यूओडी में प्रवेश के लिए, उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर सीएसएस के सभी तीन चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।



सीट आवंटन और प्रवेश

एक बार किसी विशेष दौर में सीट आवंटित हो जाने के बाद, उम्मीदवार को दिए गए आवंटन दौर के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि / समय से पहले आवंटित सीट को 'स्वीकार' करना होगा। किसी विशेष आवंटित सीट की स्वीकृति का प्रावधान केवल उस दौर के लिए मान्य होगा जिसमें उम्मीदवार को सीट आवंटित की गई थी।

किसी उम्मीदवार को किसी विशेष दौर में कई आवंटित सीटों के विकल्प में से केवल एक विकल्प को चयन करना होगा।

निष्क्रियता/ कोई कार्यवाही न करने को आवंटित सीट की गैर स्वीकृति के रूप में माना जाएगा। इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट में गिरावट के रूप में माना जाएगा और उम्मीदवार अब CSAS-2024 के बाद के दौर में भाग नहीं ले पाएंगे।

कॉलेज द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन

एक बार जब उम्मीदवार अनंतिम रूप से आवंटित सीट को "स्वीकार" कर लेता है, तो संबंधित कॉलेज उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई पात्रता और दस्तावेजों की जांच करेगा। कॉलेज निर्धारित समय सीमा के भीतर निम्नलिखित को सत्यापित करेगा:

1. उम्मीदवार की न्यूनतम पात्रता।
2. उम्मीदवार की कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता।
3. विषय मानचित्रण: यूओडी केवल उन सीयूईटी विषयों पर विचार करेगा जिनमें उसने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
4. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की वैधता और प्रामाणिकता।

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई कॉलेज उम्मीदवार से अधिक स्पष्टता / जानकारी चाहता है, तो वह उम्मीदवार से पूछ सकता है। सत्यापन के बाद, कॉलेज या तो उम्मीदवार की अनंतिम रूप से आवंटित सीट को 'स्वीकृत' या 'अस्वीकार' करेगा। कॉलेजों द्वारा कोई भी आवेदन को अनदेखा नहीं किया जाएगा।

अनुमोदन के मामले में

एक बार कॉलेज मंजूरी दे देता है, तो उम्मीदवार को 'प्रवेश शुल्क' का भुगतान करना होगा।

अस्वीकृति के मामले में

एक आवेदन को अस्वीकार करने के लिए कॉलेज निम्नलिखित कारणों में से किसी एक को इंगित करेगा:

1. उम्मीदवार द्वारा न्यूनतम पात्रता की पूर्ति न करना।
2. उम्मीदवार द्वारा कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता की पूर्ति नहीं।
3. विषय-मानचित्रण मानदंडों की पूर्ति न होना।
4. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अमान्य दस्तावेज / प्रमाण पत्र।
5. निर्धारित समय के भीतर कॉलेज द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने में विफलता।

कॉलेज अनुमोदन के दौरान प्रश्नों (यदि कोई हो) का उत्तर दें।

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कॉलेज कोई प्रश्न उठाता है तो उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन (उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से) जवाब देना होगा। प्रश्न (प्रश्नों) का जवाब देने में विफलता आवंटित सीट की अस्वीकृति का कारण बनेगी और उम्मीदवार सीएसएस-2024 से बाहर हो जाएगा।

अनंतिम रूप से आवंटित सीट पर प्रवेश

कॉलेज की मंजूरी के बाद, उम्मीदवार को अनुमोदित सीट के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट को रद्द माना जाएगा। आवंटित सीट जब्त कर ली जाएगी और उम्मीदवार को बाद के किसी भी CSAS-2024 आवंटन राउंड के लिए नहीं माना जाएगा। उम्मीदवार से आवंटित सीट के सभी अधिकारों को जब्त कर ली जाएगी और बाद के किसी भी सीएसएस-2024 आवंटन दौर के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।



आवंटन के बाद के दौर

- अस्वीकृति, रद्दीकरण और निकासी के कारण उत्पन्न होने वाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर, विश्वविद्यालय कई आवंटन दौरों की घोषणा कर सकता है। यूओडी प्रत्येक आवंटन दौर से पहले अपनी प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) पर रिक्त सीटों को प्रदर्शित करेगा।



- सीएसएस-2024 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार सभी आवंटन राउंड के लिए पात्र होंगे।
- सभी प्रवेशित उम्मीदवार जो किसी विशेष दौर में "अपग्रेड" विकल्प चुनते हैं, उन्हें सीटों की उपलब्धता के अधीन संबंधित सीएसएस-2024 आवंटन दौर के लिए विचार जाएगा।
- जिन उम्मीदवारों को किसी भी दौर में उनकी पहली वरीयता आवंटित की गई थी, उन्हें आवंटन के बाद के दौर में विचार नहीं किया जाएगा।



अपग्रेड या फ्रीज करें

अपग्रेड (उन्नत करना)

एक प्रवेशित उम्मीदवार 'अपग्रेड' विकल्प का चयन कर सकता है, जो उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत उच्च वरीयता में अपग्रेड की अनुमति देगा। भर्ती उम्मीदवार जो उन्नयन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें आवंटन नीति के आधार पर स्वचालित रूप से अपग्रेड किया जाएगा।

'अपग्रेड' विकल्प चुनने का मतलब यह होगा कि उम्मीदवार बाद के दौर (यदि कोई हो) में अपनी उच्च वरीयता के कार्यक्रम + कॉलेज संयोजन में प्रवेश के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमति देता है। उसकी वर्तमान प्रवेशित सीट स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

एक उम्मीदवार जो 'अपग्रेड' का विकल्प चुनता है, वह प्रोग्राम + कॉलेज संयोजनों को भी पुनः व्यवस्थित कर सकता है जो आवंटित एक की तुलना में वरीयता में अधिक थे।

कार्यक्रम + कॉलेज संयोजन जिसमें उसने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी बाद के दौर में उम्मीदवार को कभी भी पेश नहीं किया जाएगा। इसी तरह, कार्यक्रम + कॉलेज संयोजन जो वरीयता क्रम में नीचे थे, जिस पर उम्मीदवार ने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी बाद के दौर में उम्मीदवार को फिर से पेश नहीं किया जाएगा।

अपग्रेड विकल्प उस उम्मीदवार के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिसे उसकी पहली वरीयता आवंटित की गई थी।

यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह सीट आवंटन के सभी दौरों में 'अपग्रेड' विकल्पों की जांच करते रहे। उन्नयन प्रक्रिया में भाग लेने में विफलता / अक्षमता को किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं माना जाएगा।

अपग्रेड होने वाले उम्मीदवार को अपग्रेड की गई सीट को स्वीकार करना होगा और आवंटित सीट पर प्रवेश प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपग्रेड की गई सीट पर कोई गतिविधि नहीं करता है, तो इसे भूल रूप से रद्द माना जाएगा और यदि कोई उम्मीदवार अपग्रेड नहीं होता है, तो पहले की सीट पर उसका प्रवेश बरकरार रखा जाएगा।

फ्रीज करना

एक उम्मीदवार जिसने आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है और इसे जारी रखने की इच्छा रखता है, उसे अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'फ्रीज' अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। 'फ्रीज' का चयन करने पर, ऐसे उम्मीदवार को कभी भी "अपग्रेडेशन" का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि कोई प्रवेशित उम्मीदवार न तो अपग्रेडेशन का विकल्प चुनता है और न ही फ्रीज का विकल्प चुनता है, और एक राउंड के लिए निष्क्रिय रहता है, तो उसके द्वारा लिया गया प्रवेश बरकरार रखा जाएगा और उसे अपग्रेड के लिए विचार नहीं किया जाएगा।



अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश को रद्द करना

1. निर्धारित समय सीमा के भीतर अनंतिम रूप से आवंटित सीट को 'स्वीकार' करने में विफलता से आवंटित सीट रद्द हो जाएगी।
2. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।
3. अनंतिम रूप से आवंटित सीट / प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, यदि किसी भी समय, कोई भी दस्तावेज / प्रमाण पत्र अवैध/धोखाधड़ीपूर्ण पाया जाता है।
4. प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार यूओडी द्वारा घोषित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

एक उम्मीदवार जिसकी अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश उपर्युक्त कारणों से रद्द कर दिया गया है, वह सीएसएस-2024 के माध्यम से यूओडी में प्रवेश लेने का अधिकार खो देगा।



उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेना

एक उम्मीदवार जिसने प्रवेश लिया है, लेकिन वापस लेना चाहता है, वह अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'निकासी' विकल्प का चयन करके और 1000.00 रुपये (गैर-वापसी योग्य) के निकासी शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है।

एक उम्मीदवार जो अपना प्रवेश वापस लेता है, वह सीएसएस-2024 से बाहर हो जाएगा। वह यूओडी के यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता खो देगा। उसके बाद में से किसी में भी कोई और भागीदारी नहीं होगी।

स्पॉट एडमिशन राउंड घोषित होने के बाद प्रवेश वापस लेने का कोई विकल्प नहीं होगा।

नोट: उम्मीदवार को केवल तभी प्रवेश वापस लेना चाहिए जब वह दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ जारी नहीं रहने के बारे में सुनिश्चित हो।

स्पॉट प्रवेश

नियमित सीएसएस-2024 राउंड के पूरा होने के बाद, यदि सीटें खाली रहती हैं, तो कॉलेज यूओडी प्रवेश के स्पॉट राउंड की घोषणा कर सकता है।

जिन उम्मीदवारों ने CSAS-2024 के लिए आवेदन किया था, लेकिन स्पॉट एडमिशन राउंड की घोषणा की तारीख को किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया गया है वे स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं।

स्पॉट एडमिशन की घोषणा होने पर पहले से चल रहे सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश बन्द हो जाएगा और उन्हें अपग्रेड के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, प्रवेशित उम्मीदवारों को अपने प्रवेश वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पॉट एडमिशन राउंड में विचार करने के लिए, उम्मीदवार को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'स्पॉट एडमिशन' का विकल्प चुनना होगा।

प्रत्येक स्पॉट प्रवेश दौर के लिए विश्वविद्यालय प्रत्येक कार्यक्रम की खाली सीटों को प्रदर्शित करेगा। एक इच्छुक उम्मीदवार केवल एक कार्यक्रम का चयन करने में सक्षम होगा।

स्पॉट प्रवेश में, आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

1. सीटों की उपलब्धता।
2. कार्यक्रम-विशिष्ट योग्यता।
3. कॉलेज की वरीयता का आदेश।
4. श्रेणी।
5. इस दस्तावेज़ (CSAS-2024), UG BOI - 2024, में उल्लेखित या UoD की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कोई अन्य आवंटन नियम, नीतियां या मानदंड।

उम्मीदवार को स्पॉट राउंड में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्पॉट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट को स्वीकार करने में विफलता यूओडी में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता को जब्त कर लेगी और वह सीएसएस से बाहर हो जाएगा।

स्पॉट एडमिशन राउंड के दौरान 'अपग्रेड' और 'वापसी' का कोई विकल्प नहीं होगा। एक विशेष स्पॉट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट अंतिम होगी और स्पॉट एडमिशन राउंड के किसी भी बाद के दौर में अपग्रेड नहीं किया जाएगी।



टाई-ब्रेकिंग नियम

टाई की स्थिति में, जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के पास प्रोग्राम + कॉलेज कॉम्बिनेशन के लिए समान CUET (UG) - 2024 मेधा अंक (मेरिट स्कोर) है, टाई को तोड़ने के लिए बताए गए क्रम में निम्नलिखित नियम लागू किए जाएंगे:

1. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
2. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 4 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
3. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
4. उम्मीदवार की आयु; वरीयता उस उम्मीदवार को दी जाएगी जिसकी जन्म तिथि पहले है (जैसा कि दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है)।



शुल्क भुगतान

प्रवेश शुल्क की सफल प्राप्ति के बाद ही एक उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। प्रवेश शुल्क का भुगतान केवल उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क सफलतापूर्वक प्रेषित नहीं किया जाता है, तो प्रवेश किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नहीं माना जाएगा।

सभी भुगतानों के लिए, उम्मीदवारों को इनमें से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करना चाहिए: कोई नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यूपीआई।

नोट: प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान पर, उम्मीदवार को भविष्य के संदर्भ के प्रमाण के रूप में भुगतान की लेनदेन आईडी / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग विवरण और लेनदेन की तारीख का रिकॉर्ड रखना चाहिए।

भुगतान विफलताएं

यदि स्रोत बैंक से एक सफल लेनदेन की पुष्टि की जाती है और भुगतान विफलता डैशबोर्ड पर दिखाई देती है। उस स्थिति में, उम्मीदवार निम्नलिखित नंबरों पर सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) सुबह 9.30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच आईसीआईसीआई ईजीपे पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

फ़ोन: ++91-9540090656, +91-9540090665

ईमेल: dupaymentquery@icici.com

भुगतान से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया नीचे दिए गए मानक प्रारूप का उपयोग करें:

उम्मीदवार का नाम	लेन-देन की तिथि	लेन-देन संख्या/आईडी	पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया	ईमेल आईडी	मोबाइल नं. यूओडी आवेदन में दर्ज किया गया	पूछताछ की प्रकृति
#####	DD.MM.YYYY	2#####	जैसे- बी ए (आनर्स) हिंदी	अभ्यर्थी की ईमेल आईडी	अभ्यर्थी की मोबाइल नंबर	#####

वर्चुअल वॉलेट

प्रवेश शुल्क के सफल प्रेषण पर, एक उम्मीदवार के लिए एक वर्चुअल वॉलेट बनाया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अपग्रेड हो जाता है और अपग्रेड की गई सीट का प्रवेश शुल्क उम्मीदवार के वर्चुअल वॉलेट में राशि से अधिक है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर अंतर राशि का भुगतान करना होगा। यदि अपग्रेड की गई सीट का प्रवेश शुल्क उम्मीदवार के वर्चुअल वॉलेट में राशि से कम है, तो कॉलेज से अनुमोदन प्राप्त करने पर इसे ऑटो-डेबिट किया जाएगा।

धन वापसी नीति

उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेने के कारण, पूर्ण प्रवेश शुल्क केवल तभी वापस किया जाएगा जब वापसी प्रवेश की अंतिम तारीख से पहले की गई हो, जैसा कि यूओडी द्वारा घोषित किया गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद की गई निकासी के लिए प्रवेश शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित के लिए रिफंड नहीं किया जाएगा:

- CSAS (UG)-2024 आवेदन शुल्क
- मिड-एंट्री शुल्क
- निकासी शुल्क

प्रवेश बंद होने पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहरी विकास विभाग दाखिले बंद होने के तीन माह के भीतर प्रतिदाय का निपटान करने का प्रयास करेगा।

मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य आवश्यकता

सीएसएस-2024 के समापन पर, सभी प्रवेशित उम्मीदवारों को कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा और दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के भौतिक सत्यापन सहित कॉलेज की सभी प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

एक उम्मीदवार का प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम है और कॉलेज द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। कॉलेज सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की फिर से जांच करेगा। भौतिक सत्यापन के दौरान, यदि कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र, अपर्याप्त/अनुपयुक्त पाया जाता है, तो इससे स्वतः ही प्रवेश रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, ऐसा उम्मीदवार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए यूओडी के किसी भी यूजी कार्यक्रम में प्रवेश के अवसर को खो देगा।

स्नातक प्रवेश आवश्यक अर्हता/पात्रता



सामान्य न्यूनतम पात्रता

उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

*यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक बोर्ड से विषय/विषयों को उत्तीर्ण किया है, तो वह उन विषयों में CUET (UG) 2024 के लिए उपस्थित हो सकता है जिनमें उसने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है; हालांकि, न्यूनतम पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से, केवल एक बोर्ड की मार्कशीट/डिग्री पर विचार किया जाएगा। (उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार गणित को छोड़कर पांच विषयों के साथ सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुआ है और बाद में किसी अन्य बोर्ड जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से गणित में उपस्थित होता है और उत्तीर्ण होता है, तो न्यूनतम पात्रता

केवल सीबीएसई द्वारा जारी उसकी अंक पुस्तिका से निर्धारित की जाएगी)।

कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता

उम्मीदवारों के लिए CUET(UG)-2024 में उन विषयों में उपस्थित होना अनिवार्य है, जिनमें वह कक्षा XII उत्तीर्ण कर रहा है/उत्तीर्ण हो चुका है। कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से और कक्षा XII विषयों के साथ CUET विषय (ओं) की मैपिंग के लिए, एक से अधिक मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट पर विचार किया जा सकता है बशर्ते उम्मीदवार ने उन विषयों को कक्षा XII में उत्तीर्ण किया हो।

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET (UG)-2024 में चुनी जाने वाली भाषाओं और डोमेन विशिष्ट विषयों की सूची।

CUET(UG)-2024 की धारा 1A और धारा 1B की भाषाओं की सूची

अरबी	गुजराती	मणिपुरी	सिन्धी
असमी	हिंदी	मराठी	स्पैनिश
बंगाली	इटैलियन	नेपाली	तमिल
बोडो	जापानी	उड़िया	तेलुगू
चीनी	कन्नड़	फ़ारसी	तिब्बती
डोगरी	कश्मीरी	पंजाबी	उर्दू
अंग्रेज़ी	कोंकणी	रशियन	
फ्रेंच	मैथिली	संस्कृत	
जर्मन	मलयालम	संथाली	

सूची बी

CUET 2024 के खंड II में उल्लिखित विषयों/टेस्ट पेपरों को सूची B1 और सूची B2 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उम्मीदवार को उन विषयों को चुनने के लिए कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता का उल्लेख करना चाहिए जिनमें चयनित कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार करने के लिए CUET 2024 में उपस्थित होना चाहिए।

सूची बी1 में विषय		सूची बी2 विषय	
1	अकाउंटेंसी/बुक कीपिंग	1	कृषि
2	मानव-विज्ञान	2	इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
3	जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन	3	उद्यमशीलता
4	व्यापार-शास्त्र	4	ज्ञान, परंपरा और व्यवहार भारत
5	रसायन शास्त्र	5	ललित कला/दृश्य कला (मूर्तिकला/पेंटिंग)/वाणिज्यिक कला/नृत्य
6	कंप्यूटर विज्ञान / सूचना विज्ञान अभ्यास	7	मास मीडिया/मास कम्युनिकेशन
7	अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र	7	शारीरिक शिक्षा/एनसीसी/योग
8	पर्यावरण अध्ययन	8	प्रदर्शन (क) (कथक / भरतनाट्यम / कथकली / ओडिसी / कुचिपुड़ी / मणिपुरी (ख) नाटक - रंगमंच (ग) सामान्य संगीत (कर्नाटक / रवींद्र संगीत / हिंदुस्तानी / टक्कर / गैर-टक्कर
9	भूगोल/भूविज्ञान	9	शिक्षण योग्यता
10	इतिहास		
11	गृह विज्ञान		
12	कानूनी अध्ययन		
13	गणितशास्त्र		
14	भौतिक विज्ञान		
15	राजनीतिशास्त्र		
16	मनोविज्ञान		
17	संस्कृत		
18	सोसायटीशास्त्र		

केवल सूची बी 1 और सूची बी 2 में उल्लिखित पत्रों को कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता के लिए "विषय" माना जाएगा। CUET 2024 में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों पर मेधा तय करने और स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए विषयों के कार्यक्रम-विशिष्ट संयोजनों के अनुसार कुल अंकों की गणना के लिए विचार किया जाएगा। योग्यता केवल 'उन विषयों के संयोजन पर आधारित होगी जिनमें एक उम्मीदवार CUET 2024 में उपस्थित हुआ है' जैसा कि संबंधित कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता में उल्लेख किया गया है।

सत्यवती महाविद्यालय: परिचय



कॉलेज मुख्य रूप से अशोक विहार, उत्तरी दिल्ली में स्थित है और इसका एक विशाल परिसर है, जो 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक सह-शिक्षा संस्थान है और सभी सामाजिक स्तर के विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। ग्यारह विभाग और कई पाठ्यक्रम हैं। शानदार अकादमिक स्तरों के अलावा, हमारे विद्यार्थियों को पाठ्येतर गतिविधियों में अनुकरणीय उपलब्धियां भी हैं। कॉलेज विविध सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाए रखता है और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अपेक्षित रचनात्मक वातावरण प्रदान करता है।

कॉलेज के संभावित विद्यार्थियों के रूप में, आपको कॉलेज की पृष्ठभूमि और इतिहास से परिचित होना चाहिए। सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज, 1972 में महान स्वतंत्रता सेनानी सत्यवती देवी (1904-1945) की स्मृति के सम्मान में स्थापित किया गया था। वह स्वामी श्रद्धानंद की पोती थीं, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी थी। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी अदम्य साहस का अंदाजा उनकी जेल में लिखी इस कविता से लगाया जा सकता है - "एक बार जब आप आगे बढ़ गए, तो कभी पीछे न हटें, युद्ध के मैदान में पुरुषों के समान मरें, गोलियों या लाठीचार्ज से डरो मत, पुरुषों के सामने अपना सिर आगे रखो"। इस निडरता ने असंख्य महिलाओं को प्रेरित किया, अरुणा आसिफ अली ने सत्यवती को राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का श्रेय देती है। सत्यवती देवी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह महिला विंग की नेता थीं और नमक तोड़ने का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने और उनके साथियों ने नमक के पैकेट बनाए और वितरित किए।



डॉ. के.पी. भट्ट सत्य सभागार

महान स्वतंत्रता सेनानी बहन सत्यवती के नाम पर स्थापित महाविद्यालय के सभागार का नाम डॉ केपी भट्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 25 वर्षों तक कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया और कॉलेज के लिए एक सभागार के निर्माण के सपने को साकार किया। यह सभागार न केवल महाविद्यालय में अपितु विश्वविद्यालय में गौरव का प्रतीक है सर्वोत्तम गुणवत्ता युक्त वाले प्रकाश और ध्वनि की सुविधाओं के साथ 825 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक सभागार है। यह विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है और सर्वदा व्याख्यान, वाद-विवाद, नृत्य, थिएटर और विद्यार्थियों से सम्बंधित उत्सवों जैसी गतिविधियों से सुशोभित रहता है।



संगोष्ठी कक्ष

ध्वनि और दृश्य प्रौद्योगिकी से सुसज्जित एक पूरी तरह से वातानुकूलित संगोष्ठी कक्ष महाविद्यालय की अमूल्य संपत्ति में से एक है। वाद-विवाद, चर्चा, व्याख्यान, फिल्म स्क्रीनिंग यहां नियमित रूप से आयोजित की जाती है।



जलपान गृह


महाविद्यालय जलपान गृह मुख्य द्वार/प्रवेश द्वार के पास है। यह विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर शांत वातावरण में बैठकर जलपान गृहण का स्थान है। कैटीन महाविद्यालय सम्बंधित सभी लोगो के लिए सस्ती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करते है।





परिवार परामर्श केंद्र (FCC)

यह केंद्र लिंग-जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष भर गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करता है। यह सभी विद्यार्थियों को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।



कंप्यूटर लैब्स

सत्यवती महाविद्यालय परिसर वाई-फाई सुविधाओं से युक्त है। कोई भी विद्यार्थी सर्वर रूम (server room) से उपयोगकर्ता नाम (user id) और पासवर्ड (password) प्राप्त करके परिसर में कहीं से भी अपने लैपटॉप/मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। लगभग 100 पोर्ट के साथ दो अच्छी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर प्रयोगशालाएं हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा के लिए जावा-स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर भी हैं।



चिकित्सा सुविधा कक्ष

महाविद्यालय परिसर की पुरानी भवन के कमरा नंबर 20 में स्थित आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त एक चिकित्सा सुविधा कक्ष है, जिसमें किसी भी आकस्मिक घटना के लिए पूर्णकालिक नर्स और डॉक्टर विद्यमान रहते हैं। विद्यार्थी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक विजीटिंग (आगंतुक) डॉक्टर से परामर्श कर चिकित्सा लाभ ले सकते हैं।





स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय

यह पुस्तकालय अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित पुर्णतः वातानुकूलित है। महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकों का संग्रह है जिसमें प्रत्येक वर्ष नये संकलनो वाले पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावे विश्वकोशों, जनरल और पत्रिकाओं का भी एक प्रभावशाली संग्रह है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, साउंड प्रोजेक्टर भी विभागों और ईसीए सोसायटियों के उपयोग के लिए कॉलेज पुस्तकालय में रखे गए हैं। इसमें एक विशाल वातानुकूलित अध्ययन कक्ष है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सीखने की सुविधा के लिए इंटरनेट सुविधा और सीखने की सहायक सामग्री जैसे, ब्रेल पठन सामग्री आदि के साथ अनुकूलित कंप्यूटर हैं। पुस्तकालय कर्मचारी सौहार्दपूर्ण, मिलनसार और विद्यार्थियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।



पर्यावरण शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र

पर्यावरण अकादमिक एवं अनुसंधान केंद्र पूर्ण रूप से आधुनिक काल की मांगों के अनुकूल कुशल प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है। केंद्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर रखे गए है जो प्रस्तुति को अधिक स्पष्ट और सत्रों को अधिक आकर्षक बनाता है। सटीक और विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटा को पाने के लिए इस केंद्र को आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं से युक्त रखा गया है ताकि विद्यार्थियों में पर्यावरणीय मुद्दे एवं जागरूकता के प्रति ध्यान आकर्षित हो सके। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित नवीनतम उपकरणों के उचित उपयोग के साथ, विद्यार्थी प्राकृतिक दुनिया की पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, संसाधन क्षरण, जैव विविधता की हानि आदि के लिए प्रयोगशाला से अनुभव कर सकते हैं और पृथ्वी के संरक्षण की भावना विकसित कर सकते है।



खेल परिसर

सत्यवती महाविद्यालय का खेल परिसर दिल्ली विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाओं में से एक है। शारीरिक शिक्षा विभाग उन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है जो विभिन्न खेल गतिविधियों में रुचि रखते हैं। कॉलेज में एक दो मंजिला खेल परिसर है। एक अच्छी तरह से रखी गई क्रिकेट पिच के साथ एक हरा-भरा खेल मैदान क्रिकेटर्स के लिए आनंददायक है। संदीप सूरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट एक वार्षिक उत्सव है जिसमें दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र की टीमों व्यापक रूप से भाग लेती हैं। भद्र मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, बहन सत्यवती मेमोरियल कबड्डी और खो-खो टूर्नामेंट, पराक्रम (महिला सशक्तिकरण: आत्मरक्षा, मणिकर्णिका एथलेटिक्स मीट, रैपिड शतरंज टीम टूर्नामेंट) जैसे कई नए टूर्नामेंट हाल ही में स्थापित किए गए हैं। हमारे विद्यार्थियों ने कई इंटर-कॉलेज, इंटर-यूनिवर्सिटी, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया है। कॉलेज अलग-अलग विकलांग विद्यार्थियों के लिए भी एक आदर्श खेल वातावरण प्रदान करता है।





प्रवेश हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम



महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निम्नलिखित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है:

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

- एम.ए. राजनीति विज्ञान (14 सीटें)

स्नातक पाठ्यक्रम

- बी. कॉम (ऑनर्स)
- बी. कॉम (प्रोग्राम)
- अर्थशास्त्र (ऑनर्स)
- अंग्रेजी (ऑनर्स)
- हिंदी (ऑनर्स)
- इतिहास (ऑनर्स)
- गणित (ऑनर्स)
- राजनीति विज्ञान (ऑनर्स)

- संस्कृत (ऑनर्स)
- उर्दू (ऑनर्स)
- बीए (प्रोग्राम)

*पर्यावरण अध्ययन एक वर्ष में सभी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाने वाला क्षमता आधारित उन्नत पाठ्यक्रम है। ईवीएस और एईसीसी पेपर B.Com (ऑनर्स), सेम I, B.Com (प्रोग्राम) सेम I, बीए (प्रोग्राम) सेम I, कोर्स के सभी विद्यार्थियों को सेम I में ईवीएस और सेम 2 में एईसीसी पेपर पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थी सेमेस्टर-1 में एईसीसी पेपर के रूप में अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू/संस्कृत का विकल्प चुन सकते हैं।

बीए (ऑनर्स), अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास और गणित के सभी विद्यार्थियों को सेम-2 में ईवीएस और सेमेस्टर-1 में एईसीसी पेपर पढ़ाया जाएगा।

(विद्यार्थी सेमेस्टर-1 में एईसीसी पेपर के रूप में अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू/संस्कृत का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें ईवीएस पेपर सेमेस्टर-2 पढ़ाया जाएगा।



अल्पकालिक पाठ्यक्रम

कॉलेज में जर्मन और फ्रेंच में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स ऑफर किए जाते हैं
कक्षाओं का समय: सुबह 7.30 बजे से 9.30 बजे तक।

शुल्क: प्रवेश शुल्क '10,690/- (वार्षिक) (प्रवेश के बाद अप्रतिदेय)



वाणिज्य विभाग

1. प्रो. चित्रा मिश्रा, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
2. सुश्री संध्या तनेजा, एम.कॉम, एम.फिल.
3. डॉ. रेणु जैन, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
4. सुश्री सुनीता जिंदल, एम.कॉम, एम.फिल.
5. प्रो. सीए आभा माथुर, एफसीए, एम.कॉम, पीजी डिप (बीएम), डिप। (कॉम्प. प्लॉग), सी.एस., पीएच.डी.
6. सुश्री सोनिया प्रकाश, एम.कॉम, एम.फिल.
7. डॉ. नितिन नवीन, एम.कॉम, एम.फिल. एम. एस सी (एफएसएस), पीएच.डी.
8. प्रो. राधेश्याम भारद्वाज, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
9. सुश्री अंजलि चंद्रा, एम.कॉम, पीजीडीबीए
10. डॉ. मंजू दुब्रान, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
11. प्रो. सरफराज अहमद, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
12. डॉ. राज कुमार, बी.एड., एम.कॉम, पीएच.डी.
13. डॉ. आशुतोष गोस्वामी, एम.कॉम, एम.फिल, एमबीए, पीएच.डी.
14. डॉ. वंदना गोस्वामी, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
15. डॉ. अंजलि दरियाल, एम.कॉम, एमबीई, पीएच.डी.
16. डॉ. मनोज कुमार, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
17. सुश्री रुचि कालिया, एमबीए
18. डॉ. श्वेता कालरा, एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.
19. डॉ. तरन्तुम अमीर, एम.कॉम, पीएच.डी.
20. सुश्री भामिनी गर्ग, एम.कॉम, एम.फिल.
21. सुश्री कंगन जैन, एम.कॉम,
22. सुश्री निकिता दुरेजा, एम.कॉम,
23. श्री विवेक कुमार, एम.कॉम, एम.फिल.
24. सुश्री अंजलि आर मीणा, एम.कॉम,
25. सुश्री ऐमन, एम.कॉम,
26. डॉ. राकेश चंदर, एम.कॉम, पीएच.डी.
27. डॉ. ईश्वर सिंह दर्जी, एम.कॉम, पीएच.डी.
28. सुश्री डेज़ी राज, एम.कॉम,
29. श्री रविंदर, एम.कॉम,
30. डॉ. नेहा, एम.कॉम, पीएच.डी.
31. * सुश्री नेहा रानी, एमए अंग्रेजी (ओएमएसपी)(contractual)

अर्थशास्त्र विभाग

1. प्रो. अंकुर भटनागर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. प्रो. सी शरतचंद, एम.ए., पीएच.डी..
3. सुश्री मृदुला भाटिया, एम.ए., एम.फिल.
4. डॉ. रघुनाथ प्रसाद साकेत, एम.ए., एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
5. डॉ. रेणु सिन्हा, एम.ए., पीएच.डी.
6. डॉ. ममता चौधरी, एम.ए., पीएच.डी.
7. डॉ. बसंती कुमार नायक, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
8. डॉ. स्वरूप संतरा, एम.एस सी., एम.फिल., पीएच.डी.
9. सुश्री कोकिला मीणा, एम.ए., पीएच.डी.
10. श्री रविंदर राम, एम.ए.
11. सुश्री तानिया भाटिया, एम.ए.
12. सुश्री श्रेया शर्मा, एम.ए., पीएच.डी.
13. डॉ. पूजा, एम.ए., पीएच.डी.
14. श्री अमित कुमार, एम.ए.
15. सुश्री अनु वर्मा, एम.ए.
16. मोहम्मद इरफान आलम, एम.ए.
17. डॉ. श्वेता कुमारी, एम.ए., पीएच.डी.
18. डॉ. छत्रपाल, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.



अंग्रेजी विभाग

1. प्रो. एस. के. मिश्रा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. प्रो. अंजला उपाध्याय, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
3. सुश्री अनीता समकारिया, एम.ए., एम.फिल।
4. सुश्री अंजला दैमारी, एम.ए.
5. डॉ. शौभिक दास, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
6. डॉ. सोहन लाल, एम.ए., पीएच.डी.
7. डॉ. पूनम सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
8. श्री प्रवीण कुमार, एम.ए., एम.फिल.
9. सुश्री बैशाली बरुआ, एम.ए., एम.फिल.
10. डॉ. वंदना, एम.ए., पीएच.डी.
11. डॉ. नीलम मित्तल, एम.ए., पीएच.डी.
12. डॉ. सुनंदा सिन्हा, एम.ए., पीएच.डी.
13. डॉ. काजल टेहरी, एम.ए., पीएच.डी.
14. सुश्री स्वस्ति शर्मा, एम.ए., एम.फिल.
15. सुश्री शरण्या गांगुली, एम.ए., एम.फिल.
16. डॉ. मिली ऐश्वर्या, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
17. सुश्री उद्दीपना बोरा, एम.ए., एम.फिल.
18. डॉ. मुकेश, एम.ए., पीएच.डी.
19. श्री शशि शेखर, एम.ए.
20. श्री अभिमन्यु कुमार मिश्रा, एम.ए., एम.फिल.



पर्यावरण अध्ययन विभाग

1. डॉ. अनुपम सत्री, एम.एस सी., पीएच.डी.
2. डॉ. राजीव सिंह, एम.एस सी., पीएच.डी.
(on lien)
3. डॉ. ममता राणा, एम.ए., एम.टेक.,
पीएच.डी.,



हिंदी विभाग

1. प्रो. राज रानी, शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. प्रो. रचना बिमल, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.,
डी.लिट.
3. प्रो. अवधेश कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
4. श्री आशुतोष पांडेय, एम.ए., एम.फिल.
5. डॉ. संजय कुमार सेठ, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
6. डॉ. मुन्ना कुमार पांडेय, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
7. डॉ. विदित अहलावत, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
8. डॉ. राजेश कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
9. डॉ. विनोद कुमार चौबे, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
10. डॉ. मनोज कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
11. डॉ. अजय कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
12. डॉ. प्रवीण कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
13. डॉ. राकेश कुमार सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
14. डॉ. अजय कुमार यादव, एम.ए., पीएच.डी.
15. डॉ. ममता देवी, एम.ए., पीएच.डी.
16. श्री मुनेश यादव, एम.ए., पीएच.डी.
17. डॉ. अरुंधति, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
18. डॉ. तनुजा, एम.ए., पीएच.डी.
19. डॉ. चैना मीणा, एम.ए., पीएच.डी.
20. डॉ. भावना सरोहा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.



इतिहास विभाग

1. प्रो. पल्लवी प्रसाद, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. डॉ. स्वस्ति अल्पना, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
3. डॉ. रत्नेश कुमार त्रिपाठी, एम.ए., पीएच.डी.
4. डॉ. ईश्वर दान, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
5. डॉ. भुवन कुमार झा, एम.ए., पीएच.डी.
(on lien)
6. डॉ. संदीप कुमार वर्मा, एम.ए., एम.फिल.,
पीएच.डी.
7. डॉ. विजय नारायण सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
8. श्री संजय कुमार साह, एम.ए., एम.फिल.
9. डॉ. राम चंद्र, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
10. डॉ. मनोज कुमार सिंह, एम.ए., पीएच.डी.
11. श्री मोहित, एम.ए.
12. डॉ. चंदन कुमार, एम.ए., पीएच.डी.
13. डॉ. छोटे लाल पांडेय, एम.ए., पीएच.डी.



गणित विभाग

1. सुश्री रेणु जैन, एम.ए., एम.फिल.
2. प्रो. तरुण कुमार गर्ग, एम.एस सी, पीएच.डी.
3. डॉ. मोनिका मेहता, एम.एस सी, एम.फिल.,
पीएच.डी.
4. डॉ. वाणी शर्मा, एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
5. डॉ. ममता चौधरी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
6. सुश्री तापशी सिंह, एम.एस सी, एम.फिल.
7. डॉ. वनीता गोयल, एम.एस सी, पीएच.डी.
8. सुश्री याक्षी बहल, एम.एस सी, एम.फिल।
9. डॉ. दिव्या महाजन, एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
10. डॉ. रीता अग्रवाल, एम.एस सी, एम.फिल., पीएच.डी.
11. श्री पदम सिंह, एम.एस सी
12. सुश्री भावना सिंह, एम.एस सी



राजनीति विज्ञान विभाग

1. डॉ. कंचन शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. श्री लाजपत राय, एम.ए., एम.फिल.
3. डॉ. नीलू अनीता टिग्गा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
4. डॉ. प्रदीप कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
5. श्री वीरेंद्र कुमार, एम.ए., एम.फिल.
6. श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह, एम.ए., एम.फिल.
7. डॉ. मोना दास, एम.ए., पीएच.डी.
8. डॉ. स्वदेश सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
9. डॉ. स्टीवन रेन, एम.ए., पीएच.डी.
10. श्री जिया लाल, एम.ए.
11. डॉ. आदित्य नारायण मिश्रा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
12. डॉ. आशुतोष त्रिवेदी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
13. डॉ. अलीशा ढींगरा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
14. डॉ. भावना शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
15. डॉ. निशांत भारद्वाज, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
16. सुश्री अन्विता, एम.ए., एम.फिल.
17. श्री चन्द्रभूषण कुमार, एम.ए.
18. डॉ. अशिलेश कुमार तिवारी, एम.ए., पीएच.डी.
19. सुश्री तमन्ना यादव, एम.ए.



संस्कृत विभाग

1. प्रो. अंजू सेठ, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. प्रो. सरोज गुप्ता, एमए, एम.फिल., पीएच.डी.
3. प्रो. अजय कुमार झा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
4. डॉ. मालती राघव, एम.ए., पीएच.डी.
5. डॉ. उमा आर्य, एम.ए.फिल., पीएच.डी.
6. डॉ. प्रतिभा त्रिपाठी, एम.ए., पीएच.डी.
7. सुश्री नेहा, एम.ए., पीएच.डी.
8. डॉ. संदीप कुमार, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.



उर्दू विभाग

1. प्रो. अकील अहमद, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
2. डॉ. कमर-उल-हसन, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
3. डॉ. आरिफ इश्तियाक, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
4. डॉ. अफसाना, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
5. डॉ. मो. रुक्नुद्दीन, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
6. डॉ. बशीर शाहीन, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
7. डॉ. फैय्याज आलम, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
8. डॉ. फखरे आलम, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.



शारीरिक शिक्षा विभाग

1. डॉ. संजय चौधरी, एम.ए., पीएच.डी.
2. डॉ. रेखा शर्मा, एमपीईडी, एम.फिल., पीएच.डी.



यूजीसीएफ की संरचना (फ्लो चार्ट)

यूजीसीएफ विभिन्न विषयों में चार साल के स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक संरचना है जिसमें कई निकास विकल्प हैं। संरचना का विवरण नीचे तालिका -1 में दिया गया है।

बीए (कार्यक्रम) और B.Com (कार्यक्रम) पाठ्यक्रम के लिए यूजीसीएफ की विस्तृत संरचना के लिए, [यहाँ क्लिक करें](#)

तालिका-1

बैचलर ऑफ (फील्ड/डिसिप्लिन) (ऑनर्स)

सारिणी - 3								
स्नातक (अध्ययन क्षेत्र/ अनुशासन) (ससम्मान)								
समसत्र	अनु.वि.मू.(कोर)	वैकल्पिक (अनु.वि.ऐ.,डी एसई)	सामान्य ऐच्छिक (सा.ऐ.,जीई)	क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (क्ष.सं.पा.,ए ईसी)	कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (कौ.सं.पा.,ए सईसी)	सकार्याधिगम/ प्रशिक्षुता/ परियोजना/सा मुदायिक विस्तारण (2)	मूल्य योजन पाठ्यक्रम (वीएसी)(2)	कुल विश्वास मानांक (क्रेडिट)
पहले	अनु.वि.मू.-1(4)		पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए सा. ऐ.-1 (4)	क्ष.सं पा. के निकाय से एक को चुनिए (2)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)		पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)	22
	अनु.वि.मू.-2(4)							
	अनु.वि.मू.-3(4)							
द्वितीय	अनु.वि.मू.-4(4)		पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए सा. ऐ.-2 (4)	क्ष.सं पा. के निकाय से एक को चुनिए (2)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)		पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)	22
	अनु.वि.मू.-5(4)							
	अनु.वि.मू.-6(4)							
	पहले और दूसरे समसत्र में अपेक्षित 44 विश्वासमानांक (क्रेडिट) अर्जित करने के बाद निःसरण करने पर छात्रों को स्नातक प्रमाणपत्र (अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र में) से सम्मानित किया जाएगा।							कुल= 44
तृतीय	अनु.वि.मू.-7(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए,	अनु.वि.ऐ.-1 (4) अथवा पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, सा. ऐ.-3 (4)	क्ष.सं पा. के निकाय से एक को चुनिए (2)	एक कौ.सं.पा. का चयन कीजिए अथवा सकार्याधिगम/प्र शिक्षुता/परियो जना/सामुदायि क विस्तारण (स.प्र.प.सावि.) (2)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)		22
	अनु.वि.मू.-8(4)	अनु.वि.ऐ.-1 (4) अथवा						
	अनु.वि.मू.-9(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, सा. ऐ.-3 (4)						
चौथे	अनु.वि.मू.- 10(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए,	अनु.वि.ऐ.-2 (4) अथवा पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, सा. ऐ.-4 (4)	क्ष.सं पा. के निकाय से एक को चुनिए (2)	एक कौ.सं.पा. का चयन कीजिए अथवा सकार्याधिगम/प्र शिक्षुता/परियो जना/सामुदायि क विस्तारण	9 पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए (2)		22
	अनु.वि.मू.- 11(4)	अनु.वि.ऐ.-2 (4) अथवा						
	अनु.वि.मू.- 12(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, सा. ऐ.-4 (4)						



				(स.प्र.प.सावि.) (2)		
चौथे समसत्र की सम्पूर्ति पर अपेक्षित 88 विश्वासमानांक (क्रेडिट) अर्जित करने के बाद निःसरण करने वाले छात्रों को स्नातक पत्रोपाधि (अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र में) से सम्मानित किया जाएगा।						कुल= 88
पञ्चम	अनु.वि.मू.-13(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, अनु.वि.ऐ. - 3 (4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए सा. ऐ.-5 (4)		एक कौ.सं.पा. चुनिए अथवा सकार्याधिगम/प्र शिक्षुता/परियो जना/सामुदायिक विस्तारण (स.प्र.प.सावि.) (2)	22
	अनु.वि.मू.-14(4)					
	अनु.वि.मू.-15(4)					
छठे	अनु.वि.मू.-16(4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए, अनु.वि.ऐ. - 4 (4)	पाठ्यक्रमों के निकाय से एक को चुनिए सा. ऐ.-6 (4)		एक कौ.सं.पा. चुनिए अथवा सकार्याधिगम/प्र शिक्षुता/परियो जना/सामुदायिक विस्तारण	22
	अनु.वि.मू.-17(4)					
	अनु.वि.मू.-18(4)					
				(स.प्र.प.सावि.) (2)		
छठे समसत्र की सम्पूर्ति पर अपेक्षित 132 विश्वासमानांक (क्रेडिट) अर्जित करने के बाद निःसरण करने वाले छात्रों को स्नातक प्रतिष्ठा उपाधि (अध्ययन / अनुशासन के क्षेत्र में) से सम्मानित किया जाएगा।						कुल= 132
सातवें	अनु.वि.मू.-19(4)	तीन अनु.वि.ऐ. (3x4) पाठ्यक्रमों को चुनिए अथवा दो अनु.वि.ऐ. (2x4) एवं एक सा. ऐ. (4) पाठ्यक्रम को चुनिए अथवा एक अनु.वि.ऐ. एवं दो सा. ऐ. (4) पाठ्यक्रम को चुनिए अथवा सभी तीन सा. ऐ. 7,8,9 (3x4) (कुल = 12)			प्रधान पर लघुशोधप्रबन्ध(6) अथवा गौण पर लघुशोधप्रबन्ध (6) अथवा शैक्षणिक परियोजना/ उद्यमिता (6)	22
आठवें	अनु.वि.मू.-20(4)	तीन अनु.वि.ऐ. (3x4) पाठ्यक्रमों को चुनिए अथवा दो अनु.वि.ऐ. (2x4) एवं एक सा. ऐ. (4) पाठ्यक्रम को चुनिए अथवा एक अनु.वि.ऐ. एवं दो सा. ऐ. (4) पाठ्यक्रम को चुनिए अथवा सभी तीन सा. ऐ. 10,11,12 (3x4) (कुल = 12)			प्रधान पर लघुशोधप्रबन्ध(6) अथवा गौण पर लघुशोधप्रबन्ध (6) अथवा शैक्षणिक परियोजना/ उद्यमिता (6)	22



- * प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में एक 'एसईसी' या वैकल्पिक 'इंटरशिप / शिक्षता / परियोजना / सामुदायिक आउटरीच' चुनने के लिए III और IV सेमेस्टर में विकल्प होगा।
- * सेमेस्टर III और IV में डीएसई या जीई चुनने का विकल्प होगा।
- ** V और VI सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में एक 'एसईसी' या वैकल्पिक 'इंटरशिप / शिक्षता / परियोजना / अनुसंधान / सामुदायिक आउटरीच' चुनने का विकल्प होगा।
- # सातवें और आठवें सेमेस्टर में चार विकल्प होंगे -
 - (i) प्रत्येक 4 क्रेडिट के तीन डीएसई चुनने के लिए या
 - (ii) दो डीएसई और 4 क्रेडिट के एक जीई को चुनने के लिए प्रत्येक OR
 - (iii) प्रत्येक 4 क्रेडिट के एक डीएसई और दो जीई चुनने के लिए या
 - (iv) प्रत्येक 4 क्रेडिट के तीन जीई चुनने के लिए।
- ^ ' अनुसंधान क्रियाविधि को VI और VII सेमेस्टर में जीई पाठ्यक्रमों में से एक के रूप में पेश किया जाएगा। विद्यार्थी इसे VI सेमेस्टर या VII सेमेस्टर में चुन सकते हैं। हालांकि, तीन मुख्य विषयों में बहु-विषयक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छठे सेमेस्टर में अनुसंधान पद्धति का चयन करना होगा, यदि वह चौथे वर्ष में तीन विषयों में से एक में मेजर करना चाहता है।



प्रशासनिक विभाग

श्री अरुण गिरि, प्रशासनिक अधिकारी (कार्यवाहक)

क्रमांक	नाम	औहदा
1.	श्री शीबा लाल	वरिष्ठ सहायक
2.	श्री सुकाई प्रसाद	सहायक
3.	श्री सुनील कुमार	सहायक
4.	श्री पवन कुमार	कनिष्ठ सहायक
5.	श्री दयाल राम	कनिष्ठ सहायक
6.	श्री अशोक कुमार	कनिष्ठ सहायक
7.	श्री सुमित चौहान	कनिष्ठ सहायक (संविदा)
8.	श्री हरिंदर यादव	दफ्तरी
9.	श्री अब्दुल रऊफ	कार्यालय परिचर
10.	श्री जोगिंदर यादव	कार्यालय परिचर
11.	श्री रमेश नेगी	कार्यालय परिचर
12.	सुश्री शीला देवी	जल महिलाएं
13.	श्री अखिलेश यादव	कार्यालय परिचर
14.	श्री राजेंद्र राम	कार्यालय परिचर
15.	श्री पवन चौहान	कार्यालय परिचर
16.	श्री सतपाल नेगी	कार्यालय परिचर
17.	श्रीमती पूजम बाजपेयी	जल महिलाएं
18.	सुश्री निशा	जल महिला (संविदा)
19.	श्री कृष्ण मुकवाना	एमटीएस
20.	श्री उपेंद्र ओझा	एमटीएस (संविदा)

लेखा अनुभाग

प्रो. राधे श्याम भारद्वाज, बर्सर

डॉ. सुनील कुमार चौबे, प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)

क्रमांक	नाम	औहदा
1.	सुश्री ऋचा गाबा	वरिष्ठ सहायक
2.	श्री सौरभ पालीवाल	सहायक
3.	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक (संविदा)
4.	श्री हरीश कुमार	कनिष्ठ सहायक (संविदा)
5.	श्री अमित कुमार ओझा	दफ्तरी (संविदा)
6.	श्री सुरेंद्र कुमार	कार्यालय परिचर

पुस्तकालय

डॉ. राकेश कुमार सिंह, पुस्तकालय प्रभारी

क्रमांक	नाम	औहदा
1.	श्री शीतला प्रसाद	व्यावसायिक सहायक
2.	श्रीमती खामोशिका कालरा	अर्ध व्यावसायिक सहायक
3.	श्री राजीव कुमार	अर्ध व्यावसायिक सहायक (Offg.)
4.	श्री जय हिन्द	पुस्तकालय सहायक
5.	श्री प्रवीण यादव	पुस्तकालय सहायक
6.	श्री फैजान	पुस्तकालय सहायक
7.	श्री कृष्णा यादव	पुस्तकालय सहायक
8.	सुश्री कोमल	अर्ध व्यावसायिक सहायक (संविदा)
9.	सुश्री बबिता	अर्ध व्यावसायिक सहायक (संविदा)
10.	श्रीमती शारदा रानी	लाइब्रेरी अटेंडेंट (संविदा)
11.	श्री सुमित	लाइब्रेरी अटेंडेंट (संविदा)
12.	श्री राकेश	लाइब्रेरी अटेंडेंट (संविदा)

कंप्यूटर लैब सेक्शन

क्रमांक	नाम	औहदा
1.	श्रीमती राखी पारीक	वरिष्ठ तकनीकी सहायक
2.	श्री दीप नारायण पांडे	तकनीकी सहायक (संविदा)
3.	श्री राहुल कुमार	लैब सहायक (संविदा)
4.	श्री राजन कुशवाहा	लैब अटेंडेंट

विकसित भारत @ 2047

सत्यवती कॉलेज ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वॉयस ऑफ यूथ अभियान की गति बढ़ाने के लिए, कॉलेज ने आने वाले दिनों में ठोस कार्रवाई कार्यक्रम की योजना बनाई है। फीडबैक, सुझाव और अभिनव विचारों को साझा करने के उद्देश्य से सरकार का क्यूआर कोड और पोर्टल (MyGov.in) कॉलेज की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। विद्यार्थी अपनी ईमेल आईडी से लॉग इन कर सकते हैं और वहां से सीधे जानकारी साझा कर सकते हैं।

कॉलेज ने नोडल अधिकारी और एक विद्यार्थी प्रतिनिधि के साथ विभिन्न विषयों के शिक्षकों की एक टीम का गठन किया है, [विवरण (अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न)] ताकि विकसित भारत पहल की सुगम सुविधा मिल सके। कॉलेज में सभी विकसित भारत एक्शन कार्यक्रमों को संभालने के लिए एक निर्दिष्ट कक्ष भी है। सत्यवती कॉलेज परिसर में विकसित Bharat@2047 पर सेल्फी प्वाइंट सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। सत्यवती कॉलेज की टीम विकसित भारत ने गूगल फॉर्म तैयार किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, नवाचार और स्थिरता जैसे विविध क्षेत्रों में मौजूदा और भविष्य के विकास का विवरण शामिल है। कॉलेज की वार्षिक पत्रिका उज्ज्वला में विकसित भारत जागरूकता पर एक समर्पित खंड होगा और कॉलेज में शुरू किए गए एक्शन कार्यक्रमों पर रिपोर्ट होगी। कॉलेज विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, सेमिनारों का आयोजन करेगा और प्रत्येक पाठ्यक्रम के कक्षा विद्यार्थी प्रतिनिधियों के साथ विकसित भारत विद्यार्थी प्रतिनिधियों के लिए विजेताओं का चयन करेगा।

विकसित भारत अभियान
1947 TO 2047

Satyawati College
(University of Delhi)

myGov
Ideas For The Vision
VIKSIT BHARAT @2047

Today the goal of the country is Viksit Bharat, Sashakt Bharat! We cannot stop until this dream of a developed India is fulfilled.
-Narendra Modi, Prime Minister

Team Viksit Bharat
'Empowering every citizen to be a catalyst for change'

Patron:
Prof. Anju Seth
(Principal)

Dr. Ratnesh Kumar Tripathi
(Nodal Officer)

Members:
Dr. Raghunath Saket
Dr. Sanjay Seth
Dr. Sanjay Choudhary
Dr. Manoj Kumar
Dr. Ishwar Dan
Dr. Nishant Bharadwaj
Ms. Sharanya Ganguly
Dr. Ajay Kumar Yadav
Dr. Alisha Dhingra
Ms. Nikita Dureja
Ms. Neha Beniwal
Mr. Mohit
Dr. Pratibha Tripathi
Ms. Bhamini Garg

Student Volunteers:
Pintu
Sahil Raza
Ritesh Raj
Utsav
Aditya
Nandini Kapoor
Sarthak Khanna
Sandhya Gaur
Kashish Kaushik
Parvati
Sanjana Choudhary
Saamiya Raj
Vikas Santra
Bhavya Seth
Ansh

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष

प्रो. अंजू सेठ, सभापति

प्रो. अजय कुमार झा, संयोजक

1. प्रो. पल्लवी प्रसाद, सदस्य
2. प्रो. रचना बिमल, सदस्य
3. डॉ. ईश्वर दान, सदस्य
4. डॉ. रघुनाथ प्रसाद साकेत, सदस्य
5. डॉ. रत्नेश कुमार त्रिपाठी, सदस्य
6. प्रो. अवधेश कुमार, सदस्य
7. डॉ. नीलू अनीता तिग्गा, सदस्य
8. डॉ. स्वस्ति अल्पना, सदस्य
9. डॉ. सुनील कुमार चौबे, सदस्य
10. श्री सुशील गोयल, सदस्य
11. श्री केतन कुमार, सदस्य
12. श्री रमेश गुप्ता, सदस्य

समितियां/ सोसायटी



सचिव, कर्मचारी परिषद: डॉ. नितिन नवीन

समिति का नाम	संयोजक
1. प्रवेश समिति	डॉ. रत्नेश कुमार त्रिपाठी / डॉ. रघुनाथ प्रसाद साकेत
2. प्रॉक्टोरियल कमेटी	डॉ. संजय चौधरी
3. समय सारणी समिति	डॉ. मनोज कुमार (हिन्दी)
4. विद्यार्थी सलाहकार समिति	प्रो. तरुण कुमार गर्ग
5. डिबेटिंग सोसायटी अभिवक्ति	प्रो. राज रानी शर्मा
6. कला और संस्कृति सोसायटी	डॉ. बसंती नायक
7. ड्रामेटिक सोसायटी	डॉ. निशांत भारद्वाज
8. खेल समिति	डॉ. रेखा शर्मा
9. नॉर्थ ईस्ट सोसायटी	
10. एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी	डॉ. अजय कुमार (हिन्दी)
11. एनसीसी नौसेना, एएनओ	प्रो. तरुण कुमार गर्ग
12. एनसीसी 5डीजी-आर्मी गर्ल्स, सीटीओ	सुश्री स्वस्ति शर्मा
13. जीई, एसईसी, वीएसी और आईसी समिति	प्रो. अजय झा, संयोजक एवं नोडल ऑफिसर
14. पूर्व विद्यार्थी समिति	डॉ. शशि शेखर (राजनीति विज्ञान)
15. अनुसंधान समिति	
16. परीक्षा समिति	डॉ. रघुनाथ प्रसाद साकेत
17. बीए (कार्यक्रम) सोसायटी	डॉ. आशुतोष त्रिवेदी
18. *यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आंतरिक शिकायत समिति	सुश्री मृदुला भाटिया
19. फिल्म सोसायटी	डॉ. मुन्ना कुमार पांडे
20. फोटोग्राफी सोसायटी	डॉ. अनुपम सत्री
21. सभागार एवं संगोष्ठी कक्ष अनुरक्षण समिति	डॉ. राकेश कुमार सिंह
22. समान अवसर प्रकोष्ठ	डॉ. आशुतोष पाण्डेय
23. कैंटीन समिति	डॉ. प्रदीप कुमार
24. कंप्यूटर लैब समिति	प्रो. अंकुर भटनागर
25. क्रय समिति	प्रो. राज रानी शर्मा
26. पत्रिका समिति	सुश्री स्वस्ति शर्मा
27. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सलाहकार समिति	डॉ. संदीप कुमार (संस्कृत)
28. पुस्तकालय समिति	डॉ. नितिन नवीन
29. विकास समिति	डॉ. रघुनाथ प्रसाद साकेत
30. भेदभाव विरोधी अधिकारी	डॉ. मनोज कुमार (हिन्दी)
31. विदेशी विद्यार्थी सलाहकार समिति	
32. उद्यान समिति	डॉ. संजय चौधरी
33. कैरियर परामर्श और प्लेसमेंट के लिए समिति	प्रो. राधेश्याम भारद्वाज

सोसायटी/ समितियाँ



1. कला और संस्कृति सोसायटी

कला और संस्कृति सोसायटी युवा विद्यार्थियों की रचनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है। सोसायटी नृत्य और संगीत प्रदर्शन और कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो कॉलेज जीवन को जीवंत करते हैं और विद्यार्थियों को भविष्य के लिये तैयार करते हैं। कॉलेज में ऐसे अनेको विद्यार्थी हैं जो शास्त्रीय और साथ ही नृत्य के लोक रूपों में प्रशिक्षित हैं। सोसायटी इस प्रतिभाओं का उपयोग करता है और विद्यार्थियों को कॉलेज और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करता है।

2. 'अभिव्यक्ति' - वाद-विवाद सोसायटी

वाद-विवाद सोसायटी नियमित रूप से अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और संस्कृत में अंतर, इंटर कॉलेज और राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद का आयोजन करती है। सोसायटी अपनी गतिविधियों के माध्यम से सुनने के कौशल, बौद्धिक विचारों, उत्तरदायी दृष्टिकोण और सक्षम बोली जाने वाली कौशल पर जोर देने के साथ एक अनुसंधान उन्मुख प्रतिस्पर्धी विमर्श संस्कृति विकसित करना चाहती है। अभिव्यक्ति ने संस्कृति, इतिहास, राजनीति, वर्तमान मामलों, कानून, खेल और जीवन जैसे विभिन्न मुद्दों पर वाद-विवाद आयोजित की है। अनेको वर्ष हमारे डिबेटर्स ने इंटर-कॉलेज, इंटरकॉलेज और राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद में कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया है और कई पुरस्कार जीतकर कॉलेज को गौरवान्वित किया है। हमारे डिबेटर्स ने 1. इंटर-कॉलेज, इंटरकॉलेज और राष्ट्रीय स्तर की बहस में कॉलेज और कई पुरस्कार जीतकर कॉलेज को गौरवान्वित किया है। 2. अभिव्यक्ति द डिबेटिंग सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम: जसवंत कौर मेमोरियल नेशनल डिबेट, (नकद पुरस्कार पूल: 25000, प्रायोजित: प्रोफेसर इंद्रजीत कौर द्वारा), 3. जनक कपूर मेमोरियल नेशनल डिबेट, (नकद पुरस्कार पूल: 23000, प्रायोजित: प्रो अंजू सेठ), 4. सुदेश कुमारी मेमोरियल नेशनल डिबेट (नकद पुरस्कार पूल: 10000, प्रायोजित: प्रो निर्मल जिंदल), 5. बहन सत्यवती स्मारक संसदीय वाद-विवाद प्रतियोगिता (नकद पुरस्कार पूल: 8000, द्वारा प्रायोजित: सोसायटी फंड और पंजीकरण शुल्क), 6. वक्तव्यम द टर्नकोट डिबेट, (नकद पुरस्कार पूल: 4600, द्वारा प्रायोजित: सोसायटी फंड और पंजीकरण शुल्क), 7. इंटरकॉलेज पारंपरिक वाद-विवाद प्रतियोगिता (नकद पुरस्कार पूल: 2500, द्वारा प्रायोजित: सोसायटी फंड)।

3. 'द थर्ड एक्ट' - ड्रामैटिक्स सोसायटी

कॉलेज के सबसे सक्रिय सोसायटी में से एक ड्रामैटिक्स सोसायटी 'द थर्ड एक्ट', थिएटर वर्कशॉप, व्याख्यान और नाटक प्रस्तुतियाँ आयोजित करता है। यह सोसायटी युवाओं को अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता को पहचानता है। केंद्रित थिएटर कार्यशालाओं के माध्यम से, छिपी हुई अभिनय प्रतिभाओं को पहचाना और निखारा जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभाशाली प्रदर्शक द्वारा शानदार प्रदर्शन होता है। विद्यार्थियों को अपनी कार्यशालाओं का संचालन करने और अपने अभ्यास सत्रों को जारी रखने के लिए महाविद्यालय परिसर में ब्लॉक ए में एक विशाल कक्ष प्रदान किया गया है।

4. फिल्म सोसायटी (सिनेपट्ट)

फिल्म सोसायटी नियमित रूप से फिल्म स्क्रीनिंग आयोजित करती है साथ ही विषय, तकनीक आदि पर चर्चा, विश्लेषण और अवलोकन किया जाता है। यह सोसायटी सामूहिक-रूप से सीखने के लिए फिल्मों का उपयोग एक माध्यम के रूप में करना चाहती है और एक समझ पैदा करता है कि फिल्मों में अधिक मनोरंजन की प्रस्तुति की जाये। सोसायटी विद्यार्थियों को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील बनाता है कि फिल्में हमारे जीवन स्तम्भ का दर्पण और सामाजिक परिवर्तन की अभिकर्ता दोनों हो सकती हैं।

5. फोटोग्राफी सोसायटी (तस्वीर)

सत्यवती कॉलेज की तस्वीर सोसायटी फोटोग्राफी की कला और विज्ञान के बारे में ज्ञान साझा करने का एक मंच है। सोसायटी कार्यशालाओं, सेमिनारों, घटना कवरेज और फोटो वॉक के रूप में रचना पर प्रकाश और सुझाव प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष सोसायटी ऐसी गतिविधियों का आयोजन करता है जो विद्यार्थियों को फोटोग्राफी सीखने तथा अपने कैमरे का पूरा उपयोग करने का मौका देते हैं और दुनिया के प्रति संवेदनशील बनाने का मौका मिलता है। सोसायटी फोटोग्राफी में सीख को बढ़ाने और यादों को कैद करने के लिए एक वातावरण बनाने के अलावा विशेषज्ञों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत पर "ध्यान केंद्रित" करता है। सोसायटी का अपना स्टूडियो और डीएसएलआर कैमरा है जो विद्यार्थियों को फोटोग्राफी की कला सीखने में मदद करता है।



6. करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट के लिए 'सक्षम' समिति

यह समिति विद्यार्थियों को कॉलेज के बाद उनके पेशेवर जीवन के लिए तैयार करती है। विद्यार्थी प्रतिष्ठित लोगों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, व्याख्यानो के माध्यम से कौशल प्राप्त करते हैं। समिति दिल्ली विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के साथ समन्वय करती है और पंजीकरण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहायता करती है। शैक्षणिक वर्ष में, समिति ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए वित्त, बैंकिंग और स्वास्थ्य प्रबंधन कंपनियों को कॉलेज में आमंत्रित किया। नियुक्ति के लिए कई विद्यार्थियों का चयन किया गया था।

7. विदेशी विद्यार्थियों की सलाहकार समिति

विदेशी विद्यार्थी सलाहकार समिति अन्य देशों के विद्यार्थियों की गतिविधियों, समस्याओं और कठिनाइयों, यदि कोई हो, की देखरेख करती है। समिति कॉलेज की गतिविधियों में विदेशी विद्यार्थियों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने नए परिवेश में घर जैसा महसूस करें।

8. अनुसूचित जाति/ जनजाति समिति

समिति का उद्देश्य आरक्षित श्रेणियों के तहत कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को सशक्त बनाना है। यह इन विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास, कंप्यूटर कौशल प्राप्त करने और संचार कौशल विकसित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है। उन विद्यार्थियों के लाभ के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिन्हें पाठ्यक्रम का सामना करना मुश्किल लगता है।

9. द नॉर्थ ईस्ट सोसायटी (उत्तर-पूर्व समिति)

नॉर्थ ईस्ट सोसायटी का उद्देश्य कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट (पूर्वोत्तर) के विद्यार्थियों के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाना है। यह उन्हें पूरी तरह से कॉलेज जीवन में भाग लेने में सक्षम बनाना चाहता है। सोसायटी एक वार्षिक नॉर्थ ईस्ट फेस्ट भी मनाती है जो पूर्वोत्तर की अनूठी संस्कृति का प्रदर्शन करती है। यह सोसायटी पूर्वोत्तर के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए व्याख्यान, फिल्मों और वृत्तचित्रों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

10. 'उज्वला' - कॉलेज पत्रिका

महाविद्यालय सालाना एक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा कविताएं, कहानियां और निबंध होते हैं। कॉलेज पत्रिका विद्यार्थियों को खुद को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। 'उज्वला' नामक यह पत्रिका बहुभाषी है जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू में प्रकाशित होती है।

11. यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंतरिक शिकायत समिति

यह महाविद्यालय के परिसर में सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न से सम्बंधित समिति है।

12. परिवार परामर्श केंद्र

परिवार परामर्श केंद्र लिंग जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष भर गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करता है। केंद्र का अपना एक पुस्तकालय है जिसमें लिंग से संबंधित मुद्दों पर पुस्तकों, पुस्तिकाओं और फिल्मों का एक समृद्ध संग्रह है। यह केंद्र विद्यार्थियों को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

13. समान अवसर प्रकोष्ठ

समान अवसर प्रकोष्ठ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और करियर के अवसरों तक समान पहुंच की गुणवत्ता की सुविधा के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने अधिकांश पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों को लैपटॉप (वीएच विद्यार्थियों के लिए विशेष सॉफ्टवेयर के साथ) प्रदान किया है। समान अवसर सेल ने हमारे वीएच विद्यार्थियों को 26 डेजी प्लेयर भी प्रदान किए हैं और पुराने आईपॉड की मरम्मत की है। विद्यार्थियों के मुद्दों को हल करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

14. राष्ट्रीय कैडेट कोर

कॉलेज की एनसीसी इकाई सेना और नौसेना विंग में कैडेट के रूप में लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षित करती है। हमारे कैडेटों को गणतंत्र दिवस परेड और विशेष राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने का सम्मान मिला है। एनसीसी में विद्यार्थियों को जो कठोर प्रशिक्षण मिलता है, उन्हें मन और शरीर के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

15. राष्ट्रीय सेवा योजना

कॉलेज में एनएसएस से जुड़े विद्यार्थी स्वयंसेवकों का एक सक्रिय समूह है। एनएसएस स्वयंसेवक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पठन सत्र आयोजित करते हैं। उनकी गतिविधियों में आस-पास की झुग्गी आबादी के साथ काम करना, रक्तदान शिविरों का आयोजन और भाग लेना, रेड रिबन क्लब, कॉलेज परिसर में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाना शामिल है। एनएसएस हर साल एक वार्षिक समारोह "सरोकार" आयोजित करता है।

16. विद्यार्थी संघ

सत्यवती कॉलेज में एक विद्यार्थी संघ है जो प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों द्वारा चुना जाता है। हालांकि, प्रथम वर्ष का विद्यार्थी केवल केंद्रीय पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, संघ के बाकी पद केवल दूसरे और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए खुले हैं।

17. पूर्व विद्यार्थी समिति

सत्यवती पूर्व विद्यार्थी समिति पिछले तीन वर्षों से बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। कॉलेज सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके अपने पुराने विद्यार्थियों का डेटा एकत्र करने की कोशिश कर रहा है। पूर्व विद्यार्थी बैठक का आयोजन कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी समिति द्वारा किया जाता है। पूर्व विद्यार्थियों की सूची को अद्यतन करने में सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है।

इन समितियों के साथ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए खुली हैं, प्रत्येक विभाग की अपनी समिति है जो उस विशेष अनुशासन





उद्धमोद्य फाउंडेशन (उद्यमिता प्रकोष्ठ)

उद्धमोद्य फाउंडेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य रूप से और विशेष रूप से विद्यार्थियों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह एक अनुभाग-8 कंपनी है, जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय के कॉलेजों/विभागों/केंद्रों में उद्यमशीलता की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके नवाचार और रचनात्मकता की संस्कृति को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुपालन में, सत्यवती कॉलेज ने एक उद्यमिता प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है। यह ई-सेल एक स्थायी स्टार्टअप माहौल को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। उद्यमिता प्रकोष्ठ का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षण कर्मचारियों को शामिल करने के लिए कॉलेजों में उद्यमशीलता गतिविधियों को प्रोत्साहित करके नवाचार और रचनात्मकता की संस्कृति को सुविधाजनक बनाना भी है।

सीए प्रोफेसर आभा माथुर को 3/04/2023 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और उसी समय उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। वह फाउंडेशन के सशक्तिकरण में लगातार काम कर रही हैं।



उन्नत भारत अभियान (यूबीए)

सत्यवती कॉलेज


समन्वयक: डॉ. नीलू अनीता तिग्गा

सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 अप्रैल, 2022 को एक जागरूकता सृजन कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के संबंध में अपनी कार्य योजना शुरू की। टीम यूबीए का गठन प्रिंसिपल, प्रो निर्मल जिंदल ने डॉ. नीलू अनीता तिग्गा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग के संयोजक के तहत किया था। सत्यवती महाविद्यालय ने जिला प्रशासन के सहयोग से पांच गांवों को उनके विकास के लिए गोद लिया है। ये पांच गांव नाहरी, खुबरू, पिपली खेड़ा, राजलू और रसोई हैं। कार्यशालाओं के आयोजन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के संबंध में नियमित बैठकें आयोजित की गई थीं। विद्यार्थियों को उन्नत भारत अभियान के विजन और मिशन से परिचित कराया गया। गूगल फार्म के सृजन और प्रसार के संबंध में सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए। सर्वेक्षण को सरल बनाने के लिए आस-पास के या उसी ग्रामीण समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के विवरण की जांच की गई। इसके बाद, यूबीए साहित्य दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। चर्चाकारों को आने वाले महीनों में आवश्यक समय-सीमा, समीचीनता और संभावित कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया और कार्यशाला में भाग लेने और भविष्य के सर्वेक्षण प्रयासों में योगदान देने का कार्य सौंपा गया।





विद्यार्थीवृत्तियां और पुरस्कार



विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक निष्पादन और सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर वित्तीय सहायता की अनेक विद्यार्थीवृत्तियां और स्कीमें प्रदान की जाती हैं।

1. **सुश्री आशा साहनी मेमोरियल पुरस्कार** उनके पति, श्री एस.सी. साहनी द्वारा स्थापित किया गया है, जो अंग्रेजी (ऑनर्स) के टॉपर को प्रदान किया जाता है। I, II & III वर्ष।
2. **स्वर्गीय गौरव नागपाल विद्यार्थीवृत्ति** उनके पिता श्री बलदेव राज नागपाल द्वारा स्थापित की गई है, जो B.Com I और II वर्ष (ऑनर्स) के टॉपर्स को प्रदान की जाती है।
3. **स्वर्गीय प्रोफेसर के.पी. माथुर मेमोरियल पुरस्कार** उनकी बेटी डॉ. आभा माथुर द्वारा स्थापित किया जाता है, जो भारतीय अर्थशास्त्र के पेपर में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है।
4. **श्रीमती भगवती माथुर मेमोरियल पुरस्कार** डॉ. आभा माथुर द्वारा स्थापित किया गया है, जो B.Com (ऑनर्स) के चौथे सेमेस्टर के टॉपर को प्रदान किया जाता है।
5. **स्वर्गीय सुश्री जसवंत कौर मेमोरियल पुरस्कार** उनकी बेटी द्वारा स्थापित किया गया था। डॉ. इंद्रजीत कौर पुरुस्कार को 55% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) की SC/ST छात्रा को सम्मानित किया जाता है।
6. **स्वर्गीय श्री जी.एन.अग्रवाल मेमोरियल पुरस्कार** उनके पुत्र डॉ. एस.सी.अग्रवाल द्वारा स्थापित किया गया है, जो अर्थशास्त्र (ऑनर्स) I और II वर्ष के टॉपर (ऑनर्स) को प्रदान किया जाता है।
7. **डॉ. उषा अग्रवाल "तेजस्विनि विद्यार्थीवृत्ति"** उषा अग्रवाल द्वारा प्रायोजित B.Com (कार्यक्रम) तृतीय वर्ष के टॉपर्स को प्रदान की जाती है।
8. **सुल्तान चंद द्रोपदी देवी शिक्षा फाउंडेशन विद्यार्थीवृत्ति** सुल्तान चंद द्रोपदी द्वारा प्रायोजित देवी मेमोरियल स्कॉलरशिप एंडोमेंट B.Com (ऑनर्स) तृतीय वर्ष के टॉपर्स को प्रदान किया जाता है।
9. **स्वर्गीय श्रीमती गणेशी देवी स्मृति पुरस्कार** उनके पोते डॉ. जी. डी. गुलाटी द्वारा स्थापित किया गया है, जो इतिहास (ऑनर्स) द्वितीय वर्ष के टॉपर को प्रदान किया जाता है।
10. श्री कांति मोहन शर्मा द्वारा प्रायोजित **स्वर्गीय सुश्री क्रांति मेमोरियल पुरुस्कार** B.Sc (ऑनर्स) गणित, मैं प्रथम वर्ष के टॉपर को प्रदान की जाती है।
11. डॉ. सरोज गुप्ता द्वारा प्रायोजित **ए.डी. मेमोरियल पुरुस्कार** संस्कृत (ऑनर्स) I और II वर्ष के टॉपर्स को प्रदान किया जाता है।
12. **स्वर्गीय श्री जिया लाल मेमोरियल पुरस्कार** डॉ. पूनम सिंह द्वारा स्थापित अंग्रेजी (एच) प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अनुसूचित जाति को प्रदान किया गया।
13. श्री पी. के. गोएला द्वारा स्थापित **चंद्र कला मेमोरियल पुरस्कार** अंग्रेजी (ऑनर्स) के तीसरे वर्ष के टॉपर को प्रदान किया गया।
14. **प्रकाश वाटी मेमोरियल पुरस्कार** श्री पी. के. गोएला द्वारा स्थापित B.Com (ऑनर्स) तीसरे वर्ष के टॉपर को प्रदान किया गया।
15. श्री पी. के. गोयल द्वारा स्थापित **सुरेखा गोएला मेमोरियल पुरस्कार** अर्थशास्त्र (ऑनर्स) के टॉपर को तीसरे वर्ष से सम्मानित किया गया।
16. डॉ. आभा माथुर द्वारा प्रायोजित **गुरु संत राज आराधेय मेमोरियल पुरस्कार** "सेल्फ-मैनेजमेंट गीता" के पेपर में टॉपर को प्रदान किया जाता है।
17. **अजीत और एमए जावेद मेमोरियल मेरिट पुरस्कार** डॉ. एमए जावेद द्वारा प्रायोजित राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) के टॉपर तीसरे वर्ष (1 लड़का और 1 लड़की) को प्रदान किया जाता है।



18. **प्रो बृजलाल मेमोरियल अवार्ड** और **सुश्री सुदेश कुमारी मेमोरियल अवार्ड** प्रोफेसर निर्मल जिंदल द्वारा प्रायोजित प्रथम वर्ष के दृष्टिबाधित मेधावी छात्राओं को प्रदान किया जाता है।
19. **श्रीमती ब्रह्मादेवी विद्यार्थीवृत्ति** प्रो रचना बिमल द्वारा प्रायोजित किया गया है, हिंदी (ऑनर्स) प्रथम वर्ष के टॉपर को प्रदान किया जाता है।
20. **श्रीमती भगवती देवी स्मृति पुरस्कार** प्रो. रचना बिमल द्वारा प्रायोजित किया जाता है।
21. प्रो. रचना बिमल द्वारा प्रायोजित **(स्वर्गीय) प्रो. सुरेश गौतम मेमोरियल पुरस्कार**, हिंदी (ऑनर्स) के टॉपर को तृतीय वर्ष।
22. प्रोफेसर सीए आभा माथुर द्वारा स्थापित **गुरु संत संत राज आराधय मेमोरियल पुरस्कार** संस्कृत (ऑनर्स) के तीसरे वर्ष के टॉपर को सम्मानित किया गया।

वित्तीय सहायता

1. जरूरतमंद और योग्य विद्यार्थियों को फ़ीस में पूर्ण और आधा शुल्क रियायतें दी जाती हैं। शुल्क रियायत के लिए आवेदन कॉलेज लेखा कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों पर जमा किए जाने पर होता है।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा मैट्रिकोत्तर विद्यार्थीवृत्ति प्रदान की जाती है। विवरण के लिए कॉलेज की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समिति से संपर्क करें।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी से संबंधित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यार्थीवृत्ति प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के फरवरी तक अपना विद्यार्थीवृत्ति फॉर्म जमा करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, महाविद्यालय के कक्ष नंबर 1 में संपर्क करें।
4. कॉलेज विद्यार्थी सहायता कोष से योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

वित्तीय सहायता के लिए सामान्य नियम

1. शुल्क रियायत अच्छे आचरण, नियमित उपस्थिति और अध्ययन में संतोषजनक प्रगति और कॉलेज द्वारा निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन है। यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त स्थितियों में से किसी में भी दोषी पाया जाता है तो इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
2. शुल्क रियायत का लाभ उठाने वाले विद्यार्थी यदि वे अगली उच्च कक्षा में पदोन्नत होने में विफल रहते हैं। तो उनसे शुल्क जब्त किया जा सकता है।
3. विद्यार्थियों को फीस में रियायत मिलने तक पूरी फीस का भुगतान करना होगा।
4. दिल्ली सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय, या अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई विद्यार्थीवृत्ति का विवरण, कॉलेज में योजनाओं की प्राप्ति पर समय-समय पर कॉलेज नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है।

बाहरी प्रवासन

कर्मचारी परिषद के निर्णय के अनुसार, कॉलेज आउटवर्ड माइग्रेशन की अनुमति नहीं देता है।

धूम्रपान मुक्त क्षेत्र

दिल्ली विश्वविद्यालय तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने में दिल्ली पुलिस और वर्ल्ड लंग फाउंडेशन (दक्षिण एशिया) के साथ साझेदारी कर रहा है। उस दिशा में एक कदम के रूप में, हमारे कॉलेज में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।




हमारे सफल पूर्व विद्यार्थी



धनंजय जोशी
बी.ए. (पोल. विज्ञान)
(1992-1995) कुलपति,
दिल्ली प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय



राहुल मलिक
बी.ए. ऑनर्स।
(इको) (2003-
2006)
उप सचिव, गृह मंत्रालय



अवधेश मिश्रा
बी. कॉम (कार्यक्रम)
(1986-1989)
संस्थापक और सदस्य,
शासी निकाय, नॉर्थकैप
विश्वविद्यालय, गुरुग्राम



विनोद कुमार
बीए (कार्यक्रम) 1987-1990
भारतीय सेना में कर्नल



श्री शिव चरण गर्ग
विज्ञान (ऑनर्स) 2012 अग्रणी
वकील, उच्च न्यायालय



जगदीश कुमार, आईईएस
बीए (ऑनर्स)
अर्थशास्त्र
(2003-2006)
उप निदेशक, वाणिज्य और
उद्योग मंत्रालय



सागर बगमार
बी.कॉम (कार्यक्रम)
(2010-2013) भारतीय
पुलिस सेवा (आईपीएस)
2017 बैच भारत सरकार



सनी के सौरव
इको (ऑनर्स) 2009-2012
वरिष्ठ उप समाहर्ता



प्रमोद नारंग
बी.कॉम (ऑनर्स) (1977-
1980) सी.ए., इंस्टीट्यूट
ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
ऑफ इंडिया वर्तमान में
राइट्स लिमिटेड में
महाप्रबंधक (वित्त)



कुमार आनंद
इको (ऑनर्स) (2003-2006)
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी
(एनआईपीएफपी) के साथ
काम किया। वर्तमान में
कुमार मुंबई में अनुसंधान
टीम का नेतृत्व करते हैं



रिया
अंग्रेजी (एच) (2019)
सहायक प्रोफेसर
गार्गी कॉलेज
(2022 से)



रवि कुमार गुप्ता
अर्थशास्त्र (एच) (2012-2015)
विशेष धोखाधड़ी विश्लेषक,
सीआईटीआई, न्यूयॉर्क,
यूएसए.



मोहित खंडेलवाल
इको (एच) 2001-2004
निदेशक किनी, ऑस्ट्रेलिया



शिव दत्त शर्मा
बीए कार्यक्रम (1990)
अध्यक्ष विवेकानंद कॉलेज
ऑफ एजुकेशन



परनिधि साहनी
इको (एच) 2012-2015
विकास अर्थशास्त्री,
विश्व बैंक सलाहकार



निंगोबम विक्टोरिया चानू
अंग्रेजी ऑनर्स (2000) सहायक
प्रोफेसर (अंग्रेजी विभाग) डॉ.
भीम राव अम्बेडकर कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय



दिव्या पांडे
अंग्रेजी (ऑनर्स)
(2008-2011)
अंग्रेजी के सहायक
प्रोफेसर, विभाग,
हंसराज कॉलेज,
दिल्ली
विश्वविद्यालय



रामकरण सिंह
बीए (कार्यक्रम)
(2008-2011)
एथलेटिक्स में अर्जुन
पुरस्कार 2012 और
राजीव गांधी राज्य राष्ट्रीय
पुरस्कार 2014 प्राप्त
किया



लेफ्टिनेंट अमित मिश्रा
भारतीय सेना में कमीशन
अधिकारी
बी.एस सी (ऑनर्स) गणित
(2016-2019)



डॉ. राजेश कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
बिट्स पिलानी में,
बी.एस सी (ऑनर्स) गणित
(2000-2003)



निकिता दुरेजा
B.com ऑनर्स (2015-2018)
सहायक प्रोफेसर
(वाणिज्य विभाग),
सत्यवती कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय

खेल, ईसीए और वार्ड का प्रवेश



खेल के आधार पर प्रवेश

सभी पाठ्यक्रमों में 4% सीटें खेल के लिए आरक्षित हैं और विश्वविद्यालय के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। इस वर्ष कॉलेज को निम्नलिखित खेलों में उम्मीदवारों की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्रमांक	खेल	पुरुष	महिला
1	बैडमिंटन	2	0
2	मुक्केबाज़ी	2	1
3.	क्रिकेट	4	0
4.	जिम्नास्टिक	2	0
5.	जूडो	2	2
6.	कबड्डी	4	2
7.	खो-खो	4	2
8.	वॉलीबॉल	4	2
9.	कुश्ती	2	2
10.	फ़ूटबॉल	4	0
11.	टेबल टेनिस	2	1
12.	गोलीबारी	1	1
13.	तलवारबाजी	2	0
14.	तीरंदाज़ी	2	0

ईसीए के अधर पर प्रवेश

- 1% सीटें पाठ्येतर गतिविधियों के तहत आरक्षित हैं।
- ईसीए प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के आधार पर चयन किया जाएगा।
- प्रवेश निम्नलिखित के अनुसार ईसीए श्रेणी में होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	उप श्रेणी क्रम सं.	उप-श्रेणी	प्रस्तावित सीटें
1.	रचनात्मक लेखन	1a	रचनात्मक लेखन (हिंदी)	1
2.	नृत्य	2a	भारतीय शास्त्रीय	1
		2c	पश्चिमी	1

3	वाद-विवाद	3a	वाद-विवाद (हिंदी)	1
		3b	वाद-विवाद (अंग्रेज़ी)	1
4	डिजिटल मीडिया	4b	फिल्म निर्माण	1
6	संगीत (स्वर/गायन)	6a	भारतीय संगीत (स्वर/गायन)	1
		6b	पाश्चत्य संगीत (स्वर/गायन)	1
9	रंगमंच	9	नाटक	2
12	एनसीसी (लड़के और लड़कियां दोनों)	12	एनसीसी (लड़के और लड़कियां दोनों)	1
13	राष्ट्रीय सेवा योजना	13	राष्ट्रीय सेवा योजना	1
14	योग	14		1
कुल जारी सीटें				16

वार्ड कोटा

विश्वविद्यालय और उसके कॉलेज के कर्मचारियों के वार्डों में प्रवेश, शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों, अकादमिक परिषद के संकल्प 9 ए और बी दिनांक 27.11.2020 और उसके बाद के संशोधनों/अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाएगा। उम्मीदवार को देय अधिकारियों द्वारा जारी एक वैध रोजगार प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र में माता-पिता के रोजगार की स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। केवल CSAS (UG)-2024 आवेदन पत्र के समय अपलोड किए गए प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।



अनुशासन और उपस्थिति नियम

1. विद्यार्थी कॉलेज के प्रिंसिपल के प्रति अपने आचरण के लिए जवाबदेह हैं और उन्हें कॉलेज के अंदर या बाहर कुछ भी करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जो कॉलेज के अनुशासन और सामान्य कामकाज के साथ प्रतिष्ठा, अनुशासन या हस्तक्षेप का उल्लंघन हो सकता है। एक विद्यार्थी अनुशासन के किसी भी नियम का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में चेतावनी शामिल है, और / या जुर्माना और / या कक्षा से निलंबन, परीक्षा से, कॉलेज से या अध्यादेश XV-B और इसके तहत बनाए गए अनुशासन के नियमों में प्रदान की गई ऐसी कोई भी कार्रवाई। उसके आचरण की जांच लंबित रहने तक, अधिकारियों को कॉलेज से एक विद्यार्थी को निलंबित करने का अधिकार है।
2. विद्यार्थियों को कॉलेज की संपत्ति की उचित देखभाल करनी चाहिए और फर्नीचर और फिटिंग को खराब नहीं करना चाहिए या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुशासनहीनता के कृत्यों में लिप्त विद्यार्थियों के नाम कॉलेज की सूची से काटा जा सकते हैं।
4. रैगिंग किसी भी रूप में प्रतिबंधित है। यदि कोई विद्यार्थी इसमें लिप्त पाया जाता है तो वह घोर अनुशासनहीनता का दोषी होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। छेड़खानी या यौन उत्पीड़न में लिप्त पाए गए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अध्यादेश XV-B, XV-C और XV-D के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
5. उपस्थिति व्याख्यान और ट्यूटोरियल के मामले में, कॉलेज के विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें डीयू ईसी संकल्प संख्या 138 दिनांक 05-06-1975 शामिल हैं। कोई भी विद्यार्थी अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति या विश्वविद्यालय परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं है जब तक कि उसने अलग-अलग आयोजित व्याख्यानों, ट्यूटोरियल और उपदेशात्मक के दो-तिहाई में भाग नहीं लिया हो। स्टाफ काउंसिल की 370 वीं बैठक के निर्णय के अनुसार, प्रथम वर्ष (2019-20) में नामांकित विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम सडसठ प्रतिशत (67%) उपस्थिति होनी चाहिए, जिसमें विफल होने पर उन्हें उक्त परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा।
6. बीमारी के कारण अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए सभी आवेदन एक चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होने चाहिए और विद्यार्थी की बीमारी के बाद कॉलेज लौटने के एक सप्ताह के भीतर प्राचार्य तक पहुंचना चाहिए। चिकित्सा आधार पर उपस्थिति का लाभ देने में इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा।
7. कक्षाओं के पास के क्षेत्रों को साइलेंट जोन के रूप में चिह्नित किया गया है। इसलिए, विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस क्षेत्र में घूमने/शोर न करने की सलाह देते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी खाली अवधि का उपयोग रचनात्मक गतिविधियों जैसे पुस्तकालय जाना, खेल खेलना आदि के लिए करें।
8. प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को एक पहचान पत्र जारी किया जाता है। एक विद्यार्थी को कॉलेज गेट पर अपना पहचान पत्र दिखाए बिना कॉलेज परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। एक विद्यार्थी को कॉलेज परिसर में रहते हुए अपना पहचान पत्र ले जाना चाहिए। ड्रुप्टीकेट पहचान पत्र 100/- रुपये के भुगतान पर जारी किया जाएगा बशर्ते कि कॉलेज के अधिकारियों को नुकसान की सूचना दी जाये।
9. प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ड्रूसू पार्षद पद के अलावा कॉलेज विद्यार्थीसंघ का चुनाव नहीं लड़ सकते।
10. सभी जानकारी विद्यार्थी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है। इसलिए, विद्यार्थियों को नियमित रूप से नोटिस पढ़ने की सलाह दी जाती है। सभी जानकारी कॉलेज की वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाती है और विद्यार्थियों को अपडेट रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी नोटिस की अनभिज्ञता को किसी भी मामले में किसी भी देरी के लिए एक दलील या बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. पुस्तकालय के पास भूतल पर सुझाव पेटी दी गई है। विद्यार्थियों को इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
12. विद्यार्थियों को कॉलेज में आगंतुकों को रिसेव करने या मनोरंजन करने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसी मुलाकातें आवश्यक हैं, तो प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
13. गृहनगर की यात्रा के लिए यात्रा रियायत सुविधा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। उन्हें कमरा नंबर 1 में प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
14. कॉलेज में बस पास सत्यापन केंद्र है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, विद्यार्थी सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के दौरान संबंधित कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।
15. यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज परिसर के भीतर अनुशासनहीनता अथवा दुर्व्यवहार के किसी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो कॉलेज निष्कासन सहित उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



परीक्षा नियम

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश।

1. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा (परीक्षाओं) के समय परीक्षा अधीक्षक को अपना "प्रवेश टिकट" दिखाना होगा और परीक्षा के दौरान किसी भी समय उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।
2. उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के प्रासंगिक अध्यादेशों और विनियमों में निर्धारित शर्तों के तहत परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है।
3. उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में पुस्तक, किसी भी सामग्री पर लिखे नोट्स, गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर (परीक्षाओं को छोड़कर जहां इसके उपयोग की अनुमति दी गई है), इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लू टूथ, माइक्रो-स्कैनर, माइक्रो-फोन, माइक्रो-कैमरा, माइक्रो-स्पीकर, मेमोरी आधारित मॉड्यूल, वाई-फाई सक्षम मॉड्यूल, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, आदि) सहित किसी भी अनधिकृत सामग्री को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें अनधिकृत सामग्री के रूप में माना जाएगा।
4. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा के पूरा होने के आधे घंटे से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. परीक्षा अधीक्षक, निरीक्षण स्टाफ और आगंतुक दल के सदस्य परीक्षा के दौरान किसी भी समय या परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों की शारीरिक तलाशी करने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास कोई अनधिकृत सामग्री नहीं है।
7. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग और/या अव्यवस्थित आचरण का सहारा लेने के लिए बुक किए गए उम्मीदवारों के मामलों पर विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

शुल्क संरचना (स्नातक/ स्नातकोत्तर) 2024-25



शुल्क प्रमुख	राशि (₹)
कॉलेज सुविधाएं और सेवा शुल्क	
पानी और बिजली शुल्क **	1000
कंप्यूटर लैब फंड**	700
स्वच्छता और रखरखाव और सुविधा सुविधा**	2500
उद्यान शुल्क**	150
खेल शुल्क	500
कॉमन रूम फीस	30
कॉलेज विद्यार्थी कल्याण कोष **	
समान अवसर प्रकोष्ठ	35
एनएसएस शुल्क	26
वाचनालय शुल्क	65
विद्यार्थी सहायता कोष	500
कॉलेज सोसायटी शुल्क	501
वाद-विवाद सोसायटी शुल्क	20
ड्रामेटिक सोसायटी फीस	39
एनसीसी	91
फोटोग्राफी सोसायटी	39
वुड्स शुल्क	7
कैरियर और प्लेसमेंट सेल	33
आईसीसी	13
कॉलेज पत्रिका शुल्क	78



शुल्क प्रमुख	राशि (₹)
परिचय पत्र	100
पुस्तकालय शुल्क	325
मुद्रण और आंतरिक परीक्षा	130
फिल्म सोसायटी	13
कॉलेज विकास निधि**	4400
सभागार शुल्क	700
अन्य कॉलेज प्रमुख	
प्रवेश शुल्क	10
ट्यूशन शुल्क	180
एलुमनी एसोसिएशन**	200
वार्षिक दिवस और विद्यार्थी चुनाव	100
सत्यवती मेमोरियल लेक्चर शुल्क	20
विद्यार्थी संघ शुल्क	150
विद्यार्थियों को वापसी योग्य शुल्क	
कॉशन मनी (रिफंडेबल)	125
पुस्तकालय सुरक्षा (वापसी योग्य)	125
दिल्ली विश्वविद्यालय को देय शुल्क	
यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएशन	50
विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	250
सांस्कृतिक गतिविधियाँ	30
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	10
विश्वविद्यालय विकास निधि*	1200
विश्वविद्यालय सुविधाएं और सेवा शुल्क*	1250
विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण कोष*	250
विश्वविद्यालय संघ शुल्क*	40
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहायता विश्वविद्यालय निधि*	200
कुल	16185

* परिवर्तन के अधीन







Satyawati College, a constituent was established in the year 1972. The College is named after a great Behen (Sister) Satyawati, grand-d who worked in close association with Jawahar Lal Nehru, Jai Prakash Ne...

She worked tirelessly till her death ignorance and communalism. She (Stormy Sister) by Mahatma Gandh...



Chief Guest: Mr. K.R. Srinivasiva, Director, India International Centre
Chief Guest: Sri Ashish Agnihotri, IAS, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs
Chairman: Prof. Pamela Sinha, Chairperson, Satyawati College
Guest of Honor: Prof. Anurag Jain, Professor, Law Faculty, University of Delhi, Treasurer, Governing Body, Satyawati College



SATYAWATI COLLEGE NAAC A+ University of Delhi
Celebrating 45 Annual Day Celebration and Prize Distribution Ceremony
Date: Friday, April 05, 2024
Time: 09:00 am
Venue: Rang Auditorium









Satyawati College, a constituent College of the University of Delhi was established in the year 1972 by the Government of India. The College is named after a great Freedom fighter, Behen (Sister) Satyawati, grand-daughter of Swami Shri Jawahar Lal Nehru, Jai Prakash Narain and Sarojini Naidu. She worked tirelessly till her death for uprooting poverty, ignorance and communalism. She was named Toofan Behen (Stormy Sister) by Mahatma Gandhi for her zeal and courage.















PRESCRIBED CERTIFICATE FORMATS

PRESCRIBED FORMAT OF SCHEDULED CASTES(SC) AND SCHEDULED TRIBES(ST) CERTIFICATE

Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Study/Discipline) (Honours with Research/Academic Projects/ Entrepreneurship) or (Honours with Research in Discipline-1 (Major) with Discipline-2 (Minor) after securing the requisite 176 credits on completion of Semester VIII

1. This is to certify that Shri/ Shrimati/ Kumari* _____ son/daughter of _____ of Village/Town* _____ District/Division* of State/ Union Territory* _____ belongs to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe* under:
 - * The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
 - * The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
 - * The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951
 - * The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002]

 - * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;
 - * The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976;
 - * The Constitution (Dadara and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962; * The Constitution (Dadara and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;
 - * The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; * The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967;
 - * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; * The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; * The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970;
 - * The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978;
 - * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978;
 - * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989;
 - * The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990;
 - * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 1991;
 - * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 1991.
2. # This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes* Certificate issued to Shri/Shrimati* _____ father/mother* _____ of Shri /Shrimati /Kumari* _____ of Village/Town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belongs to the Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* issued by the _____ dated _____
3. Shri/ Shrimati/ Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily reside(s)** in Village/ Town* _____ of _____ District/Division* of the State Union Territory* of _____

Place: _____

Date: _____

Signature: _____

Designation: _____

(With seal of the Office)

State/Union Territory* _____

* Please delete the word(s) which are not applicable.

Applicable in the case of SC/ST Persons who have migrated from another State/UT.

IMPORTANT NOTES

The term "ordinarily reside(s)**" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. Officers competent to issue Caste/Tribe certificates:

1. District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family normally reside(s).
5. Administrator/Secretary to Administrator / Development Officer (Lakshadweep Island).
6. Certificate issued by any other authority will be rejected.

PRESCRIBED FORMAT OF OBC-NCL CERTIFICATE

This is to certify that Shri/ Smt./ Kum* _____ Son/ Daughter*
of Shri/ Smt.* _____ of Village/Town* _____ District/
Division* _____ In the _____ State belongs to the _____

community which is recognized as a backward class under:

- (i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
- (ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
- (iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
- (iv) Resolution No. 12011/196/94-BCC dated 9/03/96.
- (v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 210 dated 11/12/96.
- (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
- (vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
- (viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
- (ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 270 dated 06/12/99.
- (x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
- (xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
- (xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
- (xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
- (xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
- (xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.
- (xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 67' dated 12/03/2007.
- (xvii) Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010.
- (xviii) Resolution No. 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011.

Shri/ Smt./ Kum. and/ or his family ordinarily reside(s) in the District/Division of State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training G.M. No. 36012122/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004, further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate
Deputy Commissioner/
Any other Competent Authority

Seal

* Visit <http://www.ncbc.nic.in> for latest guidelines and updates on the Central List of State-wise OBCs.

** Please delete the word(s) which are not applicable.

*** As listed in the Annexure (for FORM-OBC-NCL)

**** The authority issuing the certificate needs to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

NOTE:

a. The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

b. The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

- (i) District Magistrate/ Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar' and
- (iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides

PRESCRIBED FORMAT OF ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS CERTIFICATE

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

Dated.

Valid for the year

1. This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of permanent resident of _____ Village/ Street _____ Post Office District in the State/Union Territory Pin Code whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"* is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year 2021-2024. His/her family does not own or possess any of the following assets***:
 - I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Officer

Designation

Recent Passport
size attested
photograph of
the applicant

The income and assets of the families as mentioned would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs.

* Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agricultural, business, profession, etc.

** Note 2: The term "Family" for this purpose includes the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note3: The property(ies) held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

PRESCRIBED FORMAT OF PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES CERTIFICATE

FORM-II Disability Certificate

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness)
(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Prescribed format
of persons with
benchmark
disabilities
certificate

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____
son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years,
male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of
House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____
District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am
satisfied that:

1. He/she is a case of:
 - a. locomotor disability
 - b. blindness(Please tick as applicable)
2. The diagnosis in his/her case is _____
3. He/ She has _____ % (in figure) _____ per cent (in words) permanent physical impairment/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (to be specified).
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seat of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

(Signature/Thumb impression of the person in whose favour the disability certificate is issued.